



The Uttarakhand Ayurveda University Act, 2009

Act No. 7 of 2009

Amendment appended: 16 of 2014

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

07671/2011

क्रम संख्या—122

पंजीकृत संख्या—यू०६० / डी०आ०० / डी०डी०एन० / 30 / 2009-11

31/10/11

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीप्रेस्ट)



24-10-2011

प्रभुव राज्यविव श्री राज्यपाल
(अशोक)
उत्तराखण्ड

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 21 जुलाई, 2009 ई०

आषाढ 30, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 267 / XXXVI(3) / 2009 / 40(1) / 2009

देहरादून, 21 जुलाई, 2009

अधिसूचना

विविध

R.O.C.(Dr.)
D.P.
31/10/11

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने ‘उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2009’ पर दिनांक 20 जुलाई, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या—07 वर्ष 2009 के रूप में सर्व—साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009

(अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2009)

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ज्ञात नाम से विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत रूप में अधिनियम हो:-

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

- संक्षिप्त नाम,
विस्तार एवं
प्रारम्भ**
- 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 है।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
- परिभाषायें**
- 2 इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
- (क) “सम्बद्ध” से इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त सम्बद्धता अभिप्रेत है;
- (ख) “अनुमोदित शिक्षण संस्था” से धारा 33 के अधीन अनुमोदित संस्था अभिप्रेत है;
- (ग) “आयुर्वेदिक शिक्षण संस्था” से ऐसा शिक्षण संस्थान अभिप्रेत है जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है;
- (घ) “आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति” से योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को सम्मिलित करते हुए चिकित्सा की अष्टाँग आयुर्वेदिक पद्धति अभिप्रेत है, चाहे ऐसे आधुनिक संवर्द्धन द्वारा अनुपूरित हों अथवा नहीं, और जो आयुर्वेद के मौलिक सिद्धान्तों से संगत हो जैसा आधुनिक प्रगति के लिये हो और जैसा विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय;
- (ड) “शैक्षिक परिषद” से विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद अभिप्रेत है;
- (च) “अध्ययन बोर्ड” से विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है;
- (छ) “कुलाधिपति” से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत हैं;
- (ज) “महाविद्यालय” से ऐसा आयुर्वेदिक महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है जिसमें डिप्लोमा या उपाधि संस्थित की जाती हो;
- (झ) “संघटक महाविद्यालय” से विश्वविद्यालय द्वारा पोषित महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है;
- (ज) “संकायाध्यक्ष” से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नियुक्त संकायाध्यक्ष अभिप्रेत हैं;
- (ट) “संकाय” से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत हैं;

- (ठ) "विश्वविद्यालय का छात्रावास" से छात्र के निवास की ऐसी इकाई अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित अथवा मान्यताप्राप्त हो और "सम्बद्ध या संघटक महाविद्यालय के छात्रावास" से उस महाविद्यालय के छात्रों के निवास की इकाई अभिप्रेत है;
- (घ) "प्राचार्य" से महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है;
- (ङ) "विश्वविद्यालय के प्राध्यापक" से ऐसा प्राध्यापक जिसे विश्वविद्यालय द्वारा उसकी ओर से शिक्षण प्रदान करने के लिये नियुक्त अथवा मान्यता प्रदान की गयी हो, अभिप्रेत है;
- (ज) "सम्पति" से किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में, ऐसी समस्त चल या अचल सम्पति अभिप्रेत है, जो महाविद्यालय की हो या महाविद्यालय के लाभार्थ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रदत्त हो, जिसमें भूमि, भवन (छात्रावास सहित) कार्यशाला, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण, औजार, फर्नीचर, लेखन सामग्री, स्टोर, स्वचालित वाहन या अन्य वाहन, यदि कोई हो; सम्मिलित है और महाविद्यालय से सम्बद्ध वे सभी वस्तुयें जैसे हस्तगत धन, बैंक में जमा धनराशि, निवेश और अंकित ऋण एवं ऐसी सम्पत्ति में प्राप्त अधिकार एवं हित, जो महाविद्यालय के स्वामित्व, कब्जे, अधिकार या नियंत्रणाधीन हो और लेखा पंजिका और अन्य सभी अभिलेख, जो किसी भी प्रकृति के हों और महाविद्यालय की सभी विद्यमान देनदारियां, दायित्व एवं वैधानिक अनुग्रह भी इसमें सम्मिलित समझे जायेंगे, चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों;
- (त) "मान्यता प्राप्त संस्था" से इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त संस्था अभिप्रेत है;
- (थ) "पंजीकृत स्नातक" से इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन पंजीकृत स्नातक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (द) "स्ववित्त पोषित संस्था" से ऐसा महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में सम्बद्धता प्रदत्त हो;
- (ध) "अधिसभा (सिनेट)" से विश्वविद्यालय की अधिसभा(सिनेट) अभिप्रेत है;

- (न) "परिनियम", "अध्यादेश" और "नियम" से क्रमशः तत्समय प्रवृत्त और इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश और नियम अभिप्रेत हैं;
- (प) "कार्यपरिषद" (सिंडीकेट) से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद (सिंडीकेट) अभिप्रेत है;
- (फ) "प्राध्यापक" से आचार्य (प्रोफेसर), उपाचार्य (रीडर), प्रवक्ता (लैक्चरर) तथा ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं; जोकि विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा किसी अनुमोदित संस्थान में शिक्षण प्रदान करते हों, जिन्हें परिनियमों द्वारा प्राध्यापक के रूप में घोषित किया जाय;
- (ब) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;
- (भ) "विश्वविद्यालय केन्द्र" से ऐसा केन्द्र जहाँ परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा इस सम्बन्ध में अवधारित स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान की जाती है, अभिप्रेत है;
- (म) "विश्वविद्यालय के विभाग" से ऐसा स्नातकोत्तर अथवा शोध संस्थान या विभाग अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में अनुरक्षित किया जाय।

अध्याय – दो

विश्वविद्यालय

- विश्वविद्यालय का निगमन**
- 3 (1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति और विश्वविद्यालय की अधिसभा(सिनेट) और कार्यपरिषद (सिंडीकेट)के प्रथम सदस्य तथा सभी व्यक्तियों, जो इसके पश्चात् ऐसे कार्यालय के अधिकारी या सदस्यता ग्रहण करेंगे, से मिलकर "उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय" के ज्ञात नाम से एक निगमित निकाय स्थापित किया जायेगा जिसकी अधिकारिता उत्तराखण्ड राज्य के अंदर होगी।
- (2) विश्वविद्यालय को शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होगे और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उसके नाम से वाद चलाया जा सकेगा तथा लाया जा सकेगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय हरिद्वार में अवस्थित होगा और यदि आवश्यक समझा गया तो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उत्तराखण्ड राज्य के किसी अन्य स्थान में अतिरिक्त परिसर स्थापित किया जा सकता है।

(4) विश्वविद्यालय की स्थापना पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत, सृजित या निर्मित भूमि और अन्य जंगम तथा स्थावर सम्पत्तियां विश्वविद्यालय को अन्तरित और उसमें निहित समझी जायेगी।

**विश्वविद्यालय 4
की स्थापना
का उद्देश्य**

आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य साधारणतः शिक्षण, अनुसंधान, विस्तार, शिक्षा और सेवा तथा प्रभावी प्रदर्शन द्वारा चिकित्सा की भारतीय पद्धति और समझ के ज्ञान का प्रसार, सृजन और परिरक्षण करना होगा और विशेष रूप से निम्नलिखित उद्देश्य होंगे—

- (1) चिकित्सा की भारतीय पद्धति के नये आविष्कारों के अपने उत्तरदायित्व को निभाना और उसके ज्ञान का परिरक्षण और प्रसार करना;
- (2) विश्वविद्यालय को स्थानीय और क्षेत्रीय स्वास्थ्य समस्याओं के साथ निकटतापूर्वक सहयोजित करके व्यक्तियों और समाज के समग्र स्वास्थ्य को विकसित करने के लिये ज्ञान और दक्षता के फायदों का विस्तार करना;
- (3) चिकित्सा की भारतीय पद्धति में अनुसंधान और विशेषज्ञता को सुदृढ़ बनाना;
- (4) तीव्र गति से विकासशील और परिवर्तनशील समाज में ज्ञान के अर्जन का प्रोन्नयन करना और आधुनिक संचार माध्यमों और प्रौद्यौगिकियों का उपयोग करके चिकित्सा की भारतीय पद्धति के समस्त क्षेत्रों में खोज को उन्नत करने के निरन्तर अवसर देना;
- (5) शैक्षणिक और सहबद्ध कार्यक्रमों और संसाधन उत्पादक सेवाओं की लागत प्रभावी रीति से हाथ में लेकर वित्तीय आत्मनिर्भरता स्थापित करना; और
- (6) देश के विभिन्न भागों और बाहर के समस्त विद्यार्थियों के लिये शैक्षणिक केन्द्र के रूप में कार्य करना।

**विश्वविद्यालय 5
की शक्तियाँ
और कर्तव्य**

इस अधिनियम द्वारा लागू शर्तों अथवा इसके उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय को निम्न शक्तियाँ प्राप्त होंगी और वह निम्न कर्तव्यों का निर्वहन करेगा: –

- (1) चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति में तथा ऐसे सम्बद्ध विषयों में जिन्हे वह उपयुक्त समझे, शिक्षण के लिये व्यवस्था करना और गवेषणात्मक कार्य तथा उपर्युक्त पद्धति और विषयों के ज्ञान के अभिवृद्धन एवं प्रचार के लिये तथा आयुर्वेद के ज्ञान को उसके मूल रूप में बढ़ावा देने और प्रोन्नत करने के लिये व्यवस्था करना,
- (2) ऐसा प्राविधान करना जिसके माध्यम से सम्बद्ध महाविद्यालय, मान्यता प्राप्त संस्थान और अनुमोदित संस्था अध्ययनों की विशेषज्ञता प्राप्त कर सकें;
- (3) शिक्षण और अनुसंधान के लिये सामान्य भेषजीय प्रयोगशालायें, पुस्तकालय, संग्रहालय तथा अन्य उपकरण स्थापित और आयोजित करना;
- (4) महाविद्यालयों, विभागों, तथा शोध या विशिष्ट अध्ययन के केन्द्र तथा संस्थान स्थापित करना, अधिकार में लेना, अनुरक्षित करना तथा उनका प्रबन्ध करना;
- (5) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित आचार्य, उपाचार्य, प्रवक्ता तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारिवृन्दों के पदों को सृजित करना;
- (6) व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के आचार्यों, उपाचार्यों अथवा प्रवक्ता के रूप में अथवा अन्यथा के रूप में नियुक्त करना या मान्यता देना;
- (7) विभिन्न परीक्षाओं के लिये शिक्षण पाठ्यक्रम अवधारित करना;
- (8) महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय के विभागों, विश्वविद्यालय के केन्द्रों या मान्यताप्राप्त संस्थाओं में शिक्षण के लिए मार्गदर्शन करना;
- (9) उपाधियों, डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षिक अतिविशिष्टियां संस्थित करना;

(10) परीक्षाएं आयोजित करना और ऐसे व्यक्तियों को –

- (क) जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा विहित परीक्षाओं से परिनियमों, अध्यादेशों और नियमों में विहित रीति से जब तक विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में अध्ययन के अनुमोदित पाठ्यक्रम में छूट प्राप्त न की हो, अध्ययन किया है और विश्वविद्यालय द्वारा विहित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, अथवा
- (ख) जिन्होंने अध्यादेशों या नियमों द्वारा विहित शर्तों के अधीन शोध किया हो, उपाधियों, डिप्लोमा तथा अन्य विशिष्टियां प्रदान करना।
- (11) परिनियमों द्वारा विहित रीति से मानद उपाधियों तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टियां संस्थित करना,
- (12) ऐसे शैक्षिक संस्थानों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्रदान करना तथा उनका प्रत्याहरण करना,
- (13) महाविद्यालयों, मान्यता प्राप्त संस्थानों तथा अनुमोदित संस्थानों का निरीक्षण करना तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना कि उनमें शिक्षण, अध्यापन अथवा प्रशिक्षण का समुचित स्तर बनाये रखा जाता है और उनमें समुचित पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला का प्राविधान किया गया है;
- (14) सम्बद्ध महाविद्यालयों, अनुमोदित संस्थानों और मान्यता प्राप्त संस्थानों के क्रिया-कलापों को नियंत्रित तथा समन्वित करना अथवा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना,
- (15) न्यास और विन्यास धारित करना और उनका प्रबन्ध करना तथा अध्येतावृत्तियों, यात्रा अध्येतावृत्तियां छात्रवृत्तियों, अध्ययन वृत्तियों, प्रदर्शनियां, पदक तथा पुरस्कार संस्थित तथा प्रदान करना;
- (16) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभार मांगना और प्राप्त करना, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा नियत किये जायं;
- (17) छात्रावास की स्थापना, उनका अनुरक्षण और प्रबन्धन;

- (18) जो छात्रावास विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित नहीं हैं उन्हें मान्यता देना, उनका निरीक्षण करना और उनकी मान्यता प्रत्याहरित करना;
- (19) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासों में आचरण और अनुशासन का समन्वय, पर्यवेक्षण, विनियमन तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने की व्यवस्था करना;
- (20) सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदत्त अथवा अनुमोदित संस्थानों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षण और स्नातकोत्तर शोध कार्य तथा शिक्षण का समन्वय करना, विनियमन करना और नियंत्रण करना;
- (21) (क) प्रलेखन एवं प्रकाशन विभाग;
 (ख) प्रशासनिक विभाग;
 (ग) शोध एवं विकास विभाग;
 (घ) चिकित्सीय सांख्यकी विभाग;
 (ड.) भेषज(फार्मास्यूटिकल्स) विभाग;
 (च) औषधीय/जड़ी-बूटी उद्यान, और
 (छ) शैक्षणिक विभाग संस्थित करना तथा उनका प्रबन्ध करना।
- (22) (क) बहिवर्ती (एक्सट्राम्यूरल) शिक्षण तथा अन्य मान्य क्रिया-कलाप,
 (ख) शारीरिक शिक्षा, राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा सैन्य प्रशिक्षण,
 (ग) छात्र संगम और
 (घ) खेलों तथा व्यायाम सम्बन्धी क्रिया कलापों के लिये प्राविधान करना।
- (23) ऐसी रीद्धि तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकारियों के साथ सहयोग करना, जैसा विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित किया जाय।
- (24) शोधार्थियों, छात्रों, आचार्यों, वैद्यों, चिकित्सा व्यवसायियों तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के शिक्षण में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों को व्याख्यान, शिक्षण प्रदान करने अथवा चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति के अध्ययन में अन्यथा सहायता देने के लिये आमंत्रित करना और उनका वेतन, मानदेय तथा उन्हें संदेय अन्य खर्च नियत करना;

- (25) चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति में अथवा किसी अन्य सम्बद्ध विषय की पाण्डुलिपियों, पुस्तकों, पत्रिकाओं, पम्पलेटों तथा शोध पत्रों का संग्रह, संपादन अथवा प्रकाशन करना और इस प्रयोजन के लिये निर्माण कार्य करना तथा मुद्रणालय खोलना;
- (26) वनस्पतिविज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकविज्ञान, रसायनविज्ञान, चिकित्साविज्ञान, जैव रसायन, जैव प्रौद्योगिकी, वनस्पति रसायन, जैव, सूचना विज्ञान, औषधकोश, पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा, विज्ञान तथा आयुर्वेद के इतिहास और अन्य सम्बद्ध विषयों में सर्वेक्षण अथवा शोधकार्य करना तथा उनमें सहायता करना;
- (27) समस्त ऐसे कार्य तथा बातें करना, जो वे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुषंगिक हों या न हों, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने तथा चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति तथा इसके सम्बद्ध विज्ञान और साथ ही विद्या की अन्य शाखाओं को सामान्यतः विकसित करने तथा बढ़ावा देने के लिये अपेक्षित हों;

क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार 6 उत्तराखण्ड राज्य का कोई आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय और राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय से, किसी रीति से न तो सहयुक्त करेगा और न ही किसी विशिष्ट सुविधा की मॉग करेगा;

विश्वविद्यालय में सभी वर्ग जाति लिंग धर्म, सम्प्रदाय अथवा मतावलम्बियों की पेंहुच होगी— 7 विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा भले ही वे किसी भी वर्ग, जाति, पंथ या लिंग के हों, परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है;

परन्तु यह और कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध करने पर प्रतिबन्ध है;

अध्याय—तीन

निरीक्षण एवं जांच

निरीक्षण और जांच 8 (1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे यह निर्देश दे, विश्वविद्यालय, उसके परिसर (परिसरों), संस्थानों, संघटक, सम्बद्ध या संयुक्त महाविद्यालय तथा स्ववित्त पोषित संस्थान, जिसमें उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालायें, कार्यशालायें और उपस्कर भी सम्मिलित हैं और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या संस्थान और स्ववित्त पोषित संस्था द्वारा संचालित या सम्पन्न कराई गयी परीक्षाओं, अध्यापन तथा अन्य कार्य का निरीक्षण कराने अथवा इसी प्रकार विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध सहयुक्त महाविद्यालय, संस्था या स्ववित्त पोषित संस्था के प्रशासन या वित्त सम्बन्धी किसी विषय के सम्बन्ध में जांच करने का अधिकार होगा।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई निरीक्षण या जांच कार्य का विनिश्चय करे, तो वह उसकी सूचना कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देगी और ऐसे निरीक्षण या जांच में कार्य परिषद (सिंडीकेट)द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकेगा और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा;

परन्तु यह कि ऐसे निरीक्षण या जांच में विश्वविद्यालय की ओर से कोई व्यक्ति विधि व्यवसायी के रूप में न तो उपस्थित होगा, न अभिवचन करेगा या न कोई कार्य करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिये नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन, किसी वाद पर विचार करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित होने तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं के प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करने के प्रयोजनार्थ, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 तथा 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या

उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

- (4) राज्य सरकार, ऐसे निरीक्षण या जॉच के परिणम के प्रति निर्देश कुलपति को संबोधित करेगी और कुलपति, राज्य सरकार के विचार और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सलाह कार्यपरिषद (सिंडीकेट) को संसूचित करेगा।
- (5) कुलपति, तब ऐसे समय के भीतर, जिसे राज्य सरकार नियत करे, उसे कार्यपरिषद (सिंडीकेट)द्वारा की गयी या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, उचित समय के अन्दर, राज्य सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही न करे तो राज्य सरकार, किसी ऐसे स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जिसे वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिये बाध्य होंगे।
- (7) राज्य सरकार, कुलाधिपति को उपधारा (1) के अधीन कराये गये प्रत्येक निरीक्षण या जॉच की, और उपधारा (5) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक निर्देश की और ऐसे निर्देशों को पालन करने अथवा न करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या जानकारी की प्रतियां भी भेजेगी।
- (8) उपधारा (6) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज या सामग्री पर, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व की गयी किसी जॉच की कोई रिपोर्ट भी है, विचार करने के पश्चात राज्य सरकार की यह राय है कि कार्यपरिषद (सिंडीकेट) अपने कृत्यों के निर्वहन में असफल रही है अथवा

उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, तो वह लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि उक्त कार्यपरिषद (सिंडीकेट)को अधिकमित करते हुए एक तदर्थ कार्यपरिषद, (सिंडीकेट) जिसमें कुलपति और दस सदस्यों से अनधिक ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें सरकार इस निमित नियुक्त करे, छः माह से अनधिक ऐसी अवधि, जो समय—समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये और उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन, कार्यपरिषद (सिंडीकेट)के कतिपय या समस्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगी।

- (9) उपधारा (8) के अधीन गठित तदर्थ कार्यपरिषद (सिंडीकेट)की संरचना पर धारा 24 की कोई बात लागू नहीं होगी।
- (10) उपधारा (8) के अधीन आदेश दिये जाने पर, उससे अधिकमित कार्यपरिषद(सिंडीकेट) के समस्त सदस्यों का, जिसके अन्तर्गत पदेन सदस्य भी हैं, कार्यकाल समाप्त हो जायेगा और ऐसे समस्त सदस्य इस रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे।
- (11) उपधारा (8) के अधीन आदेश के प्रवर्तन की अवधि की समाप्ति से, धारा 24 के उपबन्धों के अनुसार एक नई कार्यपरिषद (सिंडीकेट) गठित की जायेगी।
- (12) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, जैसा कि वे उपधारा (11) के उपबन्धों के कारण उपांतरित समझे जायेंगे, उपधारा (8) के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन की अवधि में बनाया गया कोई परिनियम, अध्यादेश, विनियम या अन्य नियम ऐसी अवधि के समाप्त होने पर भी तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि इस अधिनियम के

उपबन्धों के अनुसार संशोधित, निरसित या विखण्डित न कर दिया जाए।

अध्याय—चार

विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9 विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् –

- (क) कुलाधिपति,
- (ख) कुलपति,
- (ग) प्रति—कुलपति,
- (घ) वित्त अधिकारी,
- (ङ) कुलसचिव,
- (च) भेषज (फार्मसी) निदेशक,
- (छ) निदेशक, औषधीय / जड़ी—बूटी उद्यान, और
- (ज) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य

अधिकारी जिन्हें विश्वविद्यालय के परिनियमों
द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में
घोषित किया जाये।

कुलाधिपति

- 10 (1) उत्तराखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।
 (2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर पदाभिहित रहते हुए विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अधिसभा (सीनेट) का अध्यक्ष होगा तथा जब उपस्थित हों अधिसभा (सीनेट) की बैठक तथा दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा।
 (3) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उन्हें इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा प्रदत्त की गयी हों।

कुलपति की
नियुक्ति एवं
कार्यकाल

- 11 (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा, और कुलपति पद पर रहने की अवधि में अन्य कोई पद धारण नहीं करेगा तथा वह कुलाधिपति द्वारा, राज्य सरकार की संस्तुति पर, ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा, जिनके नाम

- उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन गठित समिति द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायें,
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्-
- (क). राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय का सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायाधीश,
 - (ख) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रख्यात शिक्षाविद,
 - (ग) कुलाधिपति का एक नामिति,
 - (घ) कार्यपरिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य,
 - (ङ.) सदस्य सचिव के रूप में प्रमुख सचिव/सचिव, आयुष शिक्षा राज्य सरकार समिति के सदस्यों में से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगी,
- परन्तु यदि कार्यपरिषद (सिडीकेट) उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अनुसार किसी व्यक्ति के नाम निर्देशन में असफल रहती है तो राज्य सरकार कार्य परिषद, (सिडीकेट) के प्रतिनिधि के बदले एक व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगी।
- समिति वर्णाक्षर कम में, शैक्षणिक और प्रशासनिक विशिष्टतायें दर्शाते हुए एक संक्षिप्त विवरण के साथ पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव वाले, कुलपति का पद धारण करने के लिये उपयुक्त तीन से पाँच प्रख्यात आयुर्वेद शिक्षाविदों की नामिका (पैनल) राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। समिति द्वारा संस्तुति करते समय पैनल में संस्तुत व्यक्तियों की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। राज्य सरकार द्वारा संस्तुति कुलाधिपति को प्रेषित की जायेगी।
- (3) उपधारा (6) के अधीन कार्यकाल की समाप्ति अथवा त्यागपत्र के कारण कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति, उसकी तिथि से, यथाशक्य कम से कम 60 दिन पूर्व और जब कभी भी राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाय और ऐसी तिथि के पूर्व, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, समिति वर्णाक्षर कम में कुलपति का पद

धारण करने के लिये उपयुक्त कम से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच नाम राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। समिति राज्य सरकार को नाम प्रस्तुत करते समय संस्तुत व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अहंतायें तथा अन्य विशिष्टतायें दर्शाते हुये एक संक्षिप्त विवरण भी प्रेषित करेगी, किन्तु वह इसमें कोई अधिमान कम इंगित नहीं करेगी।

- (4) राज्य सरकार समिति द्वारा संस्तुत किये गये व्यक्तियों में से किसी नाम को कुलपति के पद के लिये उपयुक्त नहीं समझती है अथवा संस्तुत किये गये व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्त के लिये उपलब्ध न हो और राज्य सरकार की राय केवल एक व्यक्ति तक सीमित रहे तो वह दो माह के अन्दर, उपरोक्त उपधाराओं के अधीन, कुलपति की नियुक्ति के लिये समिति से नई नामिकां प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी।
- (5) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां थीं अथवा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया गया, जिसके सम्बन्ध में यह पाया जाये कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।
- (6) कुलपति अपना पद ग्रहण करने के दिनोंक से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा,

परन्तु यह कि कार्य अवधि को विशेष परिस्थितियों में एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है।

परन्तु यह कि कुलपति, कुलाधिपति और राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्तालिखित त्यागपत्र द्वारा, कम से कम तीन माह के नोटिस पर, अपना पद छोड़ सकेगा तथा राज्य सरकार की संस्तुति से कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने पर, पद धारण नहीं करेगा।

- (7) आपात स्थिति मे कुलाधिपति को, निम्नलिखित परिस्थितियों में, राज्य सरकार की संस्तुति के आधार पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः माह से अनधिक की अवधि के लिये कुलपति नियुक्त करने की शक्ति होगी।
- (क) जहाँ कुलपति का पद अवकाश लेने के कारण अथवा पद त्याग या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना संभाव्य हो तो उसकी सूचना कुलसचिव द्वारा राज्य सरकार को तुरन्त दी जायेगी;
- (ख) जहाँ कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो;
- (8) कुलपति धारा 53 के अधीन गठित किसी पेन्शन, बीमे या भविष्य निधि का हकदार नहीं होगा।
- (9) कुलपति को, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने से इंकार करने या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गयी राय के आधार पर कुलाधिपति द्वारा पारित आदेश से हटाया जा सकेगा।
- (10) उपधारा (11) में निर्दिष्ट किन्हीं कारणों से जॉच के विचाराधीन रहने की अवधि में ऐसी जॉच के लम्बित रहते हुए, कुलाधिपति, राज्य सरकार की संस्तुति से यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अग्रेतर आदेश न दिया जाये—
- (क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह परिलक्षियां प्राप्त होती रहेगी, जिनके लिये वह धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन अन्यथा हकदार है;
- (ख) कुलपति के पद के कृत्यों का निर्वहन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा।
- (11) निधियों में दुर्वियोजन या कुप्रबन्ध या ऐसे दुर्व्यवहार या कदाचार के आरोपों के आधार पर, जो इस पद के लिये अशोभनीय है, के

प्रयोजनार्थ राज्य सरकार उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जॉच के लिये जांच अधिकारी नियुक्त करेगी। जॉच प्राधिकारी, कुलपति द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर अवसर देकर जॉच करेगा और अधिरोपित किये जाने वाले दण्ड सहित की जाने वाली कार्यवाही पर राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा राज्य सरकार रिपोर्ट पर विचारोपरान्त कुलाधिपति को परामर्श देगी। कुलाधिपति यथाशक्य तीन माह के भीतर कार्यवाही करेगी।

कुलपति की सेवा शर्ते एवं वेतन	12	(1) कोई व्यक्ति कुलपति नियुक्त किये जाने पर, नियुक्ति आदेश की प्राप्ति की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर पद ग्रहण करेगा। (2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, कुलपति की सेवा शर्ते व परिलक्षियाँ ऐसी होंगी, जो समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्धारित की जाय।
कुलपति की शक्तियाँ और कर्तव्य	13	(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, और (क) विश्वविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित परिसर, संघटक महाविद्यालय, संस्थान और उसके सम्बद्ध सहयुक्त महाविद्यालय तथा स्ववित्त पोषित संस्थान भी हैं, के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा; (ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा; (ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में अधिसभा(सीनेट) के अधिवेशनों और विश्वविद्यालयों के किसी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा; (घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा; (ङ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का समुचित ढंग से और समुचित समय पर आयोजन और संचालन करने लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि ऐसी परीक्षाओं के

परिणाम शीघ्रता से प्रकाशित किये जायें और विश्वविद्यालय का शिक्षा सत्र नियत दिनोंक को प्रारम्भ और समाप्त हो।

- (2) वह अधिसभा(सिनेट), कार्यपरिषद,(सिंडीकेट), शैक्षिक परिषद और वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।
- (3) उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के अधिवेशन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, परन्तु वह, इस उपधारा के आधार पर, मत देने का हकदार न होगा।
- (4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, और परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और धारा 10 के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होगी, जो उस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जायं।
- (5) कुलपति को अधिसभा(सीनेट), कार्यपरिषद (सिंडीकेट),शैक्षिक परिषद तथा वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने की शक्ति होगी।
- (6) जहाँ विश्वविद्यालय के शिक्षक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला है, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति, ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जो वह उचित समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट वह तत्काल राज्य सरकार तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा, जो साधारण क्रम में मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते;

परन्तु यह कि यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना, कुलपति ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेगा;

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी तथा अन्य निकाय की यह राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी, तो वह यह मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगी या उसे निष्प्रभावी कर सकेगी अथवा उसे ऐसी रीति से उपांतरित करेगा, जैसा वह ठीक समझे और तदोपरान्त वह कार्यवाही, यथास्थिति, प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावित होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तरण से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले से की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;

परन्तु अग्रेतर यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यक्ति हो, ऐसी कार्यवाही के बिरुद्ध उस दिनांक से, जब उसे ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से अभिसूचित किया जाये, तीन माह के भीतर कुलाधिपति को राज्य सरकार के माध्यम से अपील करने का अधिकार होगा और तदोपरान्त कुलाधिपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उसे प्रत्याहरित कर सकती है और इस विषय में इस प्रकार लिया गया विनिश्चय सामान्यतः प्रत्यावेदन की प्राप्ति/स्वीकृति की तिथि से छः माह के अन्दर सम्बन्धित पक्षों को अभिसूचित किया जायेगा।

- (7) उपधारा (6) की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय करने के लिये सशक्त नहीं समझा जायेगा, जो सम्यक रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था आय-व्ययक में न की गयी हो ऐसे सभी मामले यथाशीघ्र राज्य सरकार के संज्ञान में लाये जायेंगे।
- (8) जहाँ कुलपति द्वारा उपधारा (6) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके किसी कृत्यकारी की नियुक्ति की गयी हो तो ऐसी नियुक्ति, विहित रीति से दिए जाने पर अथवा कुलपति के आदेश के दिनांक से छः मास की कालावधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(9) कुलपति को कार्यपरिषद (सिडीकेट)के अनुमोदन तथा राज्य सरकार की सहमति से, विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त शिक्षक को पाँच वर्ष से अनधिक अवधि के लिये या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें जो भी पहले हो, पुनर्नियुक्ति करने की शक्ति होगी परन्तु नियुक्ति की शर्तें परिनियमों में विहित होंगी।

(10) कुलपति, राज्य सरकार के परामर्श एवं पूर्वानुमोदन से, जब कभी अपेक्षित हो विश्वविद्यालय के शिक्षक के कतिपय पदों के सृजन और वर्तमान शैक्षिक पदों के एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग या एक विभाग से दूसरे विभाग में परिवर्तन सम्बन्धी विषय विनिश्चय करेगा।

(11) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित की जाय।

प्रति—कुलपति

- 14 (1) प्रति—कुलपति, राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा आचार्यों में से ऐसी रीति से और ऐसी सेवा शर्तों और निबन्धनों पर नियुक्त किया जायेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का अनुपालन करेगा, जैसा विहित किया जाये।
- (2) प्रति—कुलपति का कार्यकाल तीन वर्ष के लिये होगा और अधिकतम दो वर्षों के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
- (3) वह, कुलपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि विहित किया जाये।
- (4) प्रति—कुलपति, कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।
- (5) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रति—कुलपति अपने कर्तव्यों का पालन आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त करेगा।
- (6) प्रति—कुलपति (समय—समय पर संशोधित कुलपति और आचार्य के वेतनमान के बीच के) वरिष्ठ आचार्य के वेतनमान में नियुक्त किया जायेगा।

(7) कुलाधिपति को राज्य सरकार की संस्तुति पर निधियों के दुर्विनियोजन, या कुप्रबन्धन या ऐसे दुर्व्यवहार या कदाचार के आरोपों के आधार पर, जो उस पद के लिये अशोभनीय हो, कारण बताते हुए या दो माह के अन्दर पूर्ण की जाने वाली समयबद्ध जॉच के बाद लिखित आदेश द्वारा, प्रति—कुलपति को उसके पद से हटाने की शक्ति होगी।

वित्त अधिकारी

- 15 (1) विश्वविद्यालय के लिये एक वित्त अधिकारी होगा जो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
- (2) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की निधियों के सामान्य पर्यवेक्षण और आय—व्ययक (वार्षिक आकलन) तथा लेखों के विवरण कार्य परिषद में रखने के लिए उत्तरदायी होगा तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण करेगा।
- (3) वह कुलपति के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में कार्य करेगा।
- (4) उसे कार्य परिषद की कार्यवाहियों में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह मत डालने का हकदार नहीं होगा।
- (5) उसका विश्वविद्यालय की निधियों के सामान्य पर्यवेक्षण एवं वित्तीय नीति के सम्बन्ध में परामर्श देने का कर्तव्य होगा।
- (6) वित्त अधिकारी—
- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो न किया जाये,
 - (ख) ऐसे प्रस्तावित व्यय को अनुज्ञात नहीं करेगा जो इस अधिनियम
- के उपबन्धों या किसी परिनियम या अध्यादेश की शर्तों के उल्लंघन में हो,
- (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है और सम्परीक्षा के दौरान पायी गयी अनियमितताओं को ठीक करने के लिये कार्यवाही करेगा,

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधान संरक्षित और सुप्रबन्धित हो,

(ड) लेखाओं की नियमित रूप से सम्परीक्षा करायेगा।

(7) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जो विहित किये जाएं।

कुलसचिव

16 (1) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। राज्य सरकार, अखिल भारतीय सेवाओं/राज्य आयुर्वेदिक शिक्षा सेवाओं में वरिष्ठ वेतनमान/प्रान्तीय सिविल सेवा (पी०सी०एस०) के चयन श्रेणी के अधिकारी को विश्वविद्यालय का कुलसचिव नियुक्त कर सकती है।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(3) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की अधिसभा(सीनेट), कार्यपरिषद(सिंडीकेट) और शैक्षिक परिषद, प्रवेश समिति तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रत्येक नियुक्ति समिति का पदेन सचिव होगा, तथा वह इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त सूचना प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा, जो उसके कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा, जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें या कार्यपरिषद (सिंडीकेट) या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(4) कुलसचिव, 'जैसा कि परिनियमों में विहित किया जाय' विश्वविद्यालय के समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

(5) उन मामलों के सिवाय, जहाँ शैक्षिक परिषद द्वारा अन्यथा निर्देश दिया जाये, कुलसचिव परीक्षाओं से सम्बन्धित गोपनीय कार्य और गोपनीयता बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा।

- (6) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सम्बद्धता और संस्थागत कार्यकलापों से सम्बन्धित सभी विषयों के लिये उत्तरदायी होगा।
- (7) कुलसचिव, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों और संस्थाओं के निरीक्षणों के संचालन और साधारण तथा समग्र पर्यवेक्षण के लिए, जैसा विहित किया जाये, उत्तरदायी होगा।
- (8) कुल सचिव को उत्तराखण्ड राज्य में समय—समय पर उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त वित्तीय हस्तापुस्तिका में उल्लिखित कार्यालय प्रधान की समस्त शक्तियां होगी;
- (9) कुलसचिव को इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में यथाउपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।
- संकायों के संकायाध्यक्ष 17 संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जा जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जाएं।
- फार्मसी निदेशक, तथा विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियाँ 18 (1) फार्मसी निदेशक, निदेशक औषधीय/जड़ी बूटी, उद्यान तथा धारा 9 के खण्ड (ज) में उल्लिखित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी परिनियमों के अनुसार नियुक्त किये जायेंगे।
(2) उपधारा(1) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें।
- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी 19 विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्—
(क) अधिसभा (सिनेट),
(ख) कार्यपरिषद (सिंडीकेट)
(ग) शैक्षिक परिषद,
(घ) अध्ययन बोर्ड,
(ड) क्रीड़ा और छात्र कल्याण बोर्ड, और
(च) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य बोर्ड और निकाय जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के रूप में घोषित किया जाए।

अधिसभा(सिनेट) 20 अधिसभा (सिनेट) के निम्नलिखित सदस्य होंगे—

(1) पदन सदस्य

(क) कुलाधिपति

(ख) कुलपति

(ग) विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जो राज्य में अधिवास कर रहे हों

(घ) निदेशक, फार्मेसी

(ङ) निदेशक वनस्पति उद्यान, तथा

(च) कुल सचिव,

(छ) उत्तराखण्ड सरकार के आयुष शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव/प्रमुख सचिव

(ज) निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड,

(झ) विश्वविद्यालय के पांच विषयों के विभागाध्यक्ष चकानुक्रम के आधार

पर ।

(ए) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य (प्रिंसिपल),

(2) साधारण सदस्य

(क) प्राचार्य को छोड़कर सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राध्यापकों में से पाँच सदस्य परिनियमों द्वारा विहित रीति से, निर्वाचित होंगे ।

(ख.) पंजीकृत स्नातकों में से सात सदस्य परिनियमों द्वारा विहित रीति से, निर्वाचित होंगे ।

(ग) उत्तराखण्ड विधानसभा के सदस्यों में से दो निर्वाचित सदस्य परन्तु यह कि भाग (2)(साधारण सदस्य) के खण्ड (क) और खण्ड

(ग) का प्रत्येक व्यक्ति तभी तक अधिसभा(सिनेट) के सदस्य का पदभार धारण करेगा, जब तक कि वह सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राध्यापक तथा विधान सभा का सदस्य हो ।

(घ) प्रख्यात शिक्षाविदों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सात सदस्य,

(ङ.) उत्तराखण्ड की आयुर्वेदिक सोसायटी द्वारा उसके प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति,

(च) भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग द्वारा संस्तुत दो व्यक्ति,

(छ) भाग (2) में निर्दिष्ट साधारण सदस्यो का कार्यकाल पांच वर्ष होगा।

- पंजीकृत स्नातक**
- 21 (1) उपधारा(2) के उपबन्धों के अधीन निम्नलिखित व्यक्ति पंजीकृत स्नातकों अथवा पंजीकृत होने वाले स्नातकों की पंजिका में अपने नाम् दर्ज कराने के पात्र होंगे, अर्थात्—
- (क) ऐसे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक स्नातक हों,
- (ख) ऐसे व्यक्ति जिनके पास आयुर्वेद की कोई ऐसी उपाधि या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र हो जो इस धारा के आरम्भ होने से पूर्व किसी भी संकाय या अन्य कोई संस्था या प्राधिकरण से परीक्षा उत्तीर्ण कर प्राप्त की हो और यह परीक्षा विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा निर्धारित स्नातक उपाधि परीक्षा के समतुल्य हो,
- (ग) ऐसे व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रभावी होने के तत्काल पूर्व भारतीय चिकित्सीय व्यावसायिक अधिनियम, 1970 के अधीन पंजीकृत चिकित्सीय व्यावसायिक के रूप में कार्यरत थे और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों के उत्तराखण्ड बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सीय पद्धति में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे थे, प्रमाणित किये गये हों।
- (2) पंजीकृत स्नातक बनने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे प्रपत्रों और उतनी फीस का संदाय करने पर जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जायेगी, कुलसचिव को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। कुलपति ऐसी जाँच करने के बाद जैसा वह उपयुक्त समझे, इस बात का निर्णय लेगा कि क्या आवेदनकर्ता पंजीकृत स्नातक होने का हकदार है या नहीं,
- अधिसभा (सिनेट) की बैठक**
- 22 (1) अधिसभा (सिनेट) की वर्ष में एक बैठक कुलाधिपति द्वारा नियत तारीख को आयोजित की जायेगी और इस बैठक को अधिसभा(सिनेट) की वार्षिक बैठक कहा जायेगा।

अधिसभा
(सिनेट) की
शक्तियाँ

23

- (2) कुलपति जब भी उपयुक्त समझेंगे और अधिसभा(सिनेट) के कम से कम ग्यारह सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में आवेदन किये जाने पर अधिसभा(सिनेट) की विशेष बैठक आयोजित की जा सकेगी।
- (1) अधिसभा(सिनेट) विश्वविद्यालय की सर्वोच्च शासी निकाय होगी और उसे कार्यपरिषद के कार्यों की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त होगी, तथा वह विश्वविद्यालय की ऐसी सभी शक्तियों का भी प्रयोग करेगी जिनके लिये अध्यादेश तथा परिनियमों में कोई प्राविधान नहीं किया गया है।
- (2) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन विहित शर्तों के अध्यधीन अधिसभा(सिनेट) निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वाह करेगी, अर्थात्—
- (क) आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की शिक्षा की प्रोन्नति और प्रसार में तथा उसके लिये अनुसंधान, शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण के लिये प्राविधान करना,
 - (ख) ऐसे प्राविधान करना जिनके बल पर सम्बद्ध महाविद्यालय तथा मान्यता प्राप्त संस्थान विशेषज्ञ अध्ययन कर सकें,
 - (ग) आचार्य (प्रोफेसर), उपाचार्य (रीडर), प्रवक्ता (लैक्चरर) पद तथा कोई अन्य अध्यापन पद, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित हो, संस्थित करना,
 - (घ) अध्येतावृत्तियाँ, यात्रा अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, छात्र सहायतावृत्तियाँ, प्रदर्शनियाँ, पदक तथा पुरस्कार संस्थित करना,
 - (ङ.) उपाधियाँ, डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें संस्थित और प्रदान करना,
 - (च) परिनियम बनाना, संशोधित अथवा निरसित करना,

- (छ) वार्षिक रिपोर्टों तथा वार्षिक लेखाओं पर विचार करना और प्रस्ताव पारित करना,
- (ज) कार्यपरिषद द्वारा तैयार किये गये वार्षिक वित्तीय अनुमानों पर विचार करना तथा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पारित करना,
- (झ) अध्यादेश और परिनियमों में यथाउपबन्धित पदाधिकारियों और प्राधिकारियों का चुनाव करवाना और
- (ञ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम अथवा परिनियम तथा अध्यादेशों द्वारा प्रदत्त अथवा अधिरोपित किये गये हों।

- कार्यपरिषद** 24 (1) कार्यपरिषद (सिंडीकेट) विश्वविद्यालय की कार्यकारी प्राधिकारी होगी और उसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्—
- (क) कुलपति पदेन, अध्यक्ष,
 - (ख) निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड राज्य, सदस्य
 - (ग) सलाहकार, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, सदस्य
 - (घ) दो सदस्य जिनका चुनाव सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों में से किया जायेगा,
 - (ङ.) दो सदस्य जिनका चुनाव धारा 20 के भाग (2) के खण्ड (क) के अधीन चुने गये सदस्यों में से ।
 - (च) तीन सदस्य जिनका चुनाव विश्वविद्यालय के विभागों के विभागाध्यक्षों में से किया जायेगा,
 - (छ) दो सदस्य धारा 20 के भाग (2) के खण्ड (ख) में से चुने गये सदस्यों में से किया जायेगा।

परन्तु यह कि खण्ड (घ) एवं (च) के अधीन यथास्थिति किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राचार्य अथवा विश्वविद्यालय विभाग के अध्यक्ष के

पद पर बने न रहने की दशा में, यथास्थिति चुना गया सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में पद छोड़ देगा।

- (2) कार्यपरिषद (सिंडीकेट) के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

- कार्यपरिषद (सिंडीकेट) की शक्तियाँ और कर्तव्य**
- 25 (1) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन विहित शर्तों के अध्यधीन, कार्यपरिषद (सिंडीकेट) की निम्न शक्तियाँ, होगी और वह निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्—
- (क) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों धारण, नियंत्रित और शासित करना,
 - (ख) इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उसे दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उसे सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय की ओर से संविदायें करना, उनका कार्यान्वयन, उनमें संशोधन करना और उन्हें रद्द करना,
 - (ग) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का स्वरूप अवधारित करना, उनकी अभिरक्षा की व्यवस्था करना तथा उसके उपयोग को विनियमित करना,
 - (घ) विभिन्न प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय को प्रदान की गयी निधियों को शासित करना,
 - (ङ.) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा वार्षिक दित्तीय अनुमान तैयार करना तथा उन्हें अधिसभा(सिनेट) को प्रस्तुत करना,
 - (च) विश्वविद्यालय के कार्य संचालनार्थ आवश्यक भवनों, परिसरों, उपस्कर, पुस्तकों तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करना,
 - (छ) विश्वविद्यालय के पक्ष में न्यासों, वसीयतों, दावों और किसी स्थावर एवं जंगम सम्पत्ति के अंतरणों को विश्वविद्यालय की ओर से ग्रहण करना,
 - (ज) विश्वविद्यालय की ओर से कोई स्थावर एवं जंगम सम्पत्ति अन्तरित करना,
 - (झ) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं तथा विनिधानों का प्रबन्ध करना और उनका विनियमन करना,

(ज) निम्नलिखित को संरिथत करना तथा उनका प्रबन्ध करना—

- (एक) प्रलेखन एवं प्रकाशन विभाग,
- (दो) प्रशासनिक विभाग,
- (तीन) शोध एवं विकास विभाग,
- (चार) चिकित्सीय सांख्यकी विभाग,
- (पांच) भेषज(फार्मास्यूटिकल्स) विभाग,
- (छ:) औषधीय / जड़ी-बूटी उद्यान,
- (सात) शैक्षणिक विभाग

(ट) निम्नलिखित के लिये व्यवस्था करना—

- (एक) वहिवर्ती अध्यापन तथा शोध कार्य,
- (दो) शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण,
- (तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर।

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों, विभागों, अनुसंधान अथवा विशिष्ट अध्ययन संस्थानों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा छात्रावासों का प्रबन्ध करना;

(ड) छात्रावासों को मान्यता प्रदान करना और विश्वविद्यालय के अध्यापकों को आवासीय परिसर उपलब्ध कराना;

(ढ) सम्बद्ध महाविद्यालयों, मान्यता प्राप्त संस्थानों तथा छात्रावासों के निरीक्षण का प्रबन्ध करना तथा उनके निरीक्षण के लिये निर्देश देना और उनकी दक्षता बनाये रखने तथा उनके कर्मचारिबृन्द के सदस्यों के लिये नियोजन की उचित शर्तों तथा पर्याप्त वेतन के संदाय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये अनुदेश जारी करना और ऐसे अनुदेशों की अवहेलना किये जाने की दशा में सम्बद्धता के निबन्धनों में उपान्तरण हेतु अधिसभा (सिनेट) को सिफारिश करना; या ऐसे अन्य उपाय करने की सिफारिश करना जिन्हें वह इस सम्बन्ध में उचित समझे।

(ण) सम्बद्ध महाविद्यालयों, मान्यताप्राप्त संस्थानों अथवा छात्रावासों से रिपोर्ट, विवरणियाँ तथा अन्य जानकारी मँगवाना;

- (त) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के प्रवेश, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण करना तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण में अभिबृद्धि करने के लिये प्रबन्ध करना;
- (थ) परिनियमों द्वारा विहित की गयी रीति से मानद उपाधियों तथा शैक्षिक विशिष्टियां प्रदान करने हेतु अधिसभा (सिनेट) से सिफारिश करना;
- (द) अध्येतावृत्तियाँ, यात्रा अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, छात्र सहायतावृत्तियाँ, प्रदर्शनियाँ, पदक तथा पुरस्कार संस्थित करना;
- (ध) परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों की नियुक्ति करना;
- (न) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा यथा अपेक्षित चयन समिति की, सिफारिश पर यदि कोई हो तो, विश्वविद्यालय के अधिकारियों (कुलाधिपति एवं कुलपति को छोड़कर) अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारिवृन्दों की नियुक्ति करना, उनके कर्तव्य और उनकी सेवा शर्तें नियत करना और उनके पदों में होने वाली अस्थायी रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;
- (प) किसी सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त संस्थान से कर्मचारिवृंद के सदस्य को विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में मान्यता प्रदान करना और ऐसी मान्यता का प्रत्याहरण करना;
- (फ) पाठ्यक्रम निर्धारित करना;
- (ब) विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में और मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययन और अध्यापन के समन्वय की व्यवस्था करना;
- (भ) परीक्षायें निर्धारित और अयोजित करना;
- (म) ऐसी शर्तें निर्धारित करना जिन पर छात्रों को परीक्षाओं में प्रवेश दिया जायेगा;

- (य) डिग्रियों, डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं के लिये अर्हित होने के निमित छात्रों को विश्वविद्यालय में अथवा सम्बद्ध महाविद्यालयों या मान्यताप्राप्त संस्थानों में अनुमोदित पाठ्यक्रम से छूट प्रदान करना;
- (र) परीक्षकों की नियुक्ति करना, उनका पारिश्रमिक नियत करना और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं तथा अन्य परीक्षणों के संचालन का तथा उनके परिणामों को प्रकाशित करने का प्रबन्ध करना।
- (ल) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभार नियत करना, मांगना और प्राप्त करना, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा नियत किये जायं।
- (व) अध्यादेश बनाना, उनमें संशोधन करना;
- (श) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जैसे कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जाय या उस पर अधिरोपित किये जाय;
- (ष) विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव या ऐसे अन्य अधिकारियों, या उनके द्वारा नियुक्त की गयी किसी समिति, को, जिसे वह उचित समझे अपनी कोई अन्य शक्तियों प्रत्यायोजित करना।
- (2) कार्यपरिषद, (सिंडीकेट)उपधारा(1) के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट सम्पत्तियों के सभी प्रतिग्रहणों अथवा अंतरणों की सूचना अधिसभा(सिनेट) को देगी।
- (3) कार्यपरिषद, (सिंडीकेट) अधिसभा(सिनेट) की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण नहीं करेगी।
- शैक्षिक परिषद**
- 26 (1) विश्वविद्यालय की एक शैक्षिक परिषद होगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय।
- (2) शैक्षिक परिषद का गठन, शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अध्ययन बोर्ड	27	(1) प्रत्येक विषय या विषयों के समूह के लिये जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए एक अध्ययन बोर्ड होगा। (2) अध्ययन बोर्ड का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
क्रीड़ा और छात्र कल्याण बोर्ड तथा अन्य बोर्ड	28	(1). विश्वविद्यालय एक क्रीड़ा बोर्ड, छात्र कल्याण बोर्ड तथा कोई अन्य बोर्ड जिसे परिनियमों द्वारा विहित किया जाय, स्थापित करेगा। (2) उपधारा(1) के अधीन स्थापित बोर्डों का गठन, शक्तियाँ तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों द्वारा विहित किये जाय।
विश्वविद्यालय के अन्य निकाय	29	ऐसे अन्य निकायों का, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के रूप में घोषित किये जायें, गठन, शक्तियाँ तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें।

अध्याय पांच

परिनियम तथा अध्यादेश

परिनियम	30	ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा अथवा उनके अधीन विहित किये जायें, परिनियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी एक विषय के लिये उपबन्ध किये जा सकेंगे— (क) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना, (ख) उपाधियां प्रदान करने के लिये दीक्षांत समारोहों का आयोजन करना, (ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य, (घ) इस अधिनियम में यथाउपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियाँ तथा कर्तव्य, (ङ.) विश्वविद्यालय द्वारा विभागों, शोध अथवा विशिष्ट अध्ययन संस्थानों तथा छात्रावासों को स्थापित करना और उनका अनुरक्षण करना,
---------	----	---

- (ચ) વસીયતે, દાન ઔર વિન્યાસ ગ્રહણ કરના તથા ઉનકા પ્રબન્ધન,
- (છ) સ્નાતકોં કા પંજીકરણ તથા પંજીકૃત સ્નાતકોં કી પંજિકા કા અનુરક્ષણ,
- (જ) વિશ્વવિદ્યાલય કે પ્રાધિકારિયોં કી બૈઠક તથા ઉનકે કોર્ટીનું સંચાલન કી ક્રિયાવિધિ,
- (ઝ) સમ્બદ્ધ મહાવિદ્યાલયોં ઔર માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનોં મેં આચાર્યો (પ્રોફેસર), ઉપાચાર્યો (રીડર), પ્રવક્તા (લૈક્વચરર) કી અર્હતાયો,
- (ઝા) એસે સમસ્ત અન્ય વિષય જો ઇસ અધિનિયમ કે અનુસાર પરિનિયમો દ્વારા વિહિત કિયે જાને હું અથવા કિયે જા સકતે હું।

**પરિનિયમો
કા સંશોધન,
પ્રવર્તન ઔર
નિરસન**

- 31 (1) પરિનિયમ અધિસભા (સિનેટ) દ્વારા બનાયે જાયેંગે અથવા અધિસભા (સિનેટ) દ્વારા ઇસકે પશ્ચાત્ ઉપબન્ધિત રીતિ સે બનાયે ગયે પરિનિયમો મેં સંશોધન, નિરસન અથવા પરિવર્ધન કિયા જા સકતા હૈ,
- (2) અધિસભા(સિનેટ) સ્વપ્રેરણ અથવા કાર્યપરિષદ (સિંડીકેટ)દ્વારા પ્રસ્તાવ કિયે જાને પર કિસી પરિનિયમ કે પ્રરૂપ પર વિચાર કર સકેગી;
- (3) કાર્યપરિષદ (સિંડીકેટ) કિસી એસે પરિનિયમ કા પ્રરૂપ પ્રસ્તાવિત કર સકતી હૈ જો ઉસકે દ્વારા પ્રસ્તાવિત કિયા જાના હો,
- (4) ઇસ પ્રરૂપ પર અધિસભા(સિનેટ) દ્વારા અપની અગલી ઉત્તરવર્તી બૈઠક મેં વિચાર કિયા જાયેગા | અધિસભા(સિનેટ) એસે પ્રારૂપ કો અનુમોદિત કર સકેગી ઔર પરિનિયમ કો પારિત કર સકેગી યા ઉસે અસ્વીકાર કર સકેગી યા ઉસે કિસી એસે સંશોધનોં કે સાથ જિસકા કિ કાર્યપરિષદ (સિંડીકેટ) સુઝાવ દે, પૂર્ણતઃ યા અંશતઃ પુનર્વિચાર કે લિયે કાર્યપરિષદ (સિંડીકેટ) કો વાપસ કર સકેગી | જહોં વાપસ કિયે ગયે કિસી પ્રારૂપ મેં કાર્યપરિષદ (સિંડીકેટ) દ્વારા સુઝાયે ગયે કિસી સંશોધન પર કાર્યપરિષદ (સિંડીકેટ) દ્વારા ઔર વિચાર કિયા જા ચુકા હો, વહ કાર્યપરિષદ (સિંડીકેટ) કી તત્ત્વસ્થાની રિપોર્ટ કે સાથ અધિસભા(સિનેટ) કે સમક્ષ પુનઃ પ્રસ્તુત કિયા જાયેગા ઔર ફિર

अधिसभा(सिनेट) उस प्रारूप पर ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे पार्यघाही करेगी।

- (5) यदि कोई परिनियम विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, प्राधिकारी अथवा बोर्ड की शक्तियों या कर्तव्यों को प्रभावित करता है, तो—
- (क) कार्यपरिषद (सिंडीकेट) ऐसे परिनियम को प्रस्तावित करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी, प्राधिकारी अथवा बोर्ड की राय लेगी और उस पर विचार करेगी तथा
 - (ख) अधिसभा(सिनेट) द्वारा स्वप्रेरणा से विचारार्थ लिये गये ऐसे किसी परिनियम को पारित करने से पूर्व अधिसभा सम्बन्धित अधिकारी, प्राधिकारी अथवा बोर्ड के विचारों तथा कार्यपरिषद(सिंडीकेट) के मत पर विचार करेगी और उस पर निर्णय लेगी।
- (6) अधिसभा(सिनेट) द्वारा पारित प्रत्येक परिनियम कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उसके सम्बन्ध में अपनी अनुमति दे सकेगा अथवा लम्बित रख सकता है या उसे पुनर्विचार किये जाने के लिये अधिसभा(सिनेट) को वापस भेज सकता है।
- (7) अधिसभा(सिनेट) द्वारा पारित किसी भी परिनियम को तब तक वैधता नहीं मिलेगी, जब तक उसे कुलाधिपति द्वारा अनुमति न दे दी गयी हो।

अध्यादेशों
का बनाया
जाना

- 32 (1) कार्यपरिषद (सिंडीकेट) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से अध्यादेश बना सकेगी या अध्यादेशों का संशोधन कर सकेगी, जिसमें—
- (क) विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रवेश,
 - (ख) विश्वविद्यालय की सभी डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के लिये पाठ्यक्रम अधिकथित करना,
 - (ग) डिग्रियों, डिप्लोमाओं और अन्य शैक्षणिक विशिष्टियों तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की शर्तें,

- (घ) छात्रावासों को मान्यता और उनका निरीक्षण,
- (ङ) छात्रों का आचरण तथा अनुशासन और उनके आवास की शर्त,
- (च) विश्वविद्यालय में नियुक्त किये जाने वाले प्राध्यापकों की संख्या, अर्हताएं तथा उनकी नियुक्ति की शर्तें,
- (छ) विश्वविद्यालय में अथवा उसकी ओर से विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा प्रदत्त शिक्षण के पाठ्यक्रमों के लिये विश्वविद्यालय में प्रवेश होने पर तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, डिग्रियों और डिप्लोमाओं में प्रवेश के निमित्त विश्वविद्यालय में बने रहने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा अथवा उसकी ओर से प्रदत्त अध्यापन तथा अनुपूरक शिक्षण के लिये स्नातकों के पंजीकरण तथा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिये ली जाने वाली फीस,
- (ज) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें और कर्तव्य,
- (झ) परीक्षाओं का संचालन,
- (ञ) विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा निकाय के साथ संयुक्त रूप से गठित बोर्ड तथा समितियों के कर्तव्य और शक्तियाँ,
- (ट) कुलसचिव तथा विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य,
- (ठ) स्नातकों तथा पूर्वस्नातकों पर, जहाँ तक वे अध्ययन और परीक्षा के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, अधिरोपित किया जाने वाला अनुशासन,
- (ड) छात्रों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सम्बद्ध महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा अनुपालन और प्रवर्तित किये जाने वाले नियम,

- (द) किसी पंजी में किसी नाम की प्रविष्टि अथवा उसे पंजी में रखे रहने के लिए ली जाने वाली फीस, यदि कोई हो,
- (ए) सम्बद्ध महाविद्यालयों और मान्यता प्राप्त संस्थानों का निरीक्षण तथा ऐसे महाविद्यालयों और मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट, विवरणियाँ तथा अन्य जानकारी,
- (त) सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुरक्षित छात्र पंजी,
- (थ) विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के कर्तव्य,
- (द) विश्वविद्यालय द्वारा अथवा उसकी ओर से संविदा अथवा करारों के निष्पादन की रीति,
- (ध) समान्यतः ऐसे समस्त विषय जो कि इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित किये जाने हैं तथा ऐसे समस्त विषय जो अधिसभा(सिनेट) की राय में अध्यादेश या परिनियमों द्वारा कार्यपरिषद (सिंडीकेट) को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने अथवा अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये उपबन्धित किये जाने हेतु आवश्यक हैं, सम्मिलित हैं।
- (2) कार्यपरिषद (सिंडीकेट) द्वारा बनाये जाने वाले सभी अध्यादेश, उस स्थिति को छोड़कर जबकि इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित किया गया हो, उसी तारीख से जिसका वह निर्देश दे, प्रभावी होंगे,

अध्याय—छ:

सम्बद्धता, मान्यता और अनुमोदन

सम्बद्धता,
मान्यता और
अनुमोदन

- 33 (1) सम्बद्धता के लिए विश्वविद्यालय को आवेदन करने वाला महाविद्यालय कुलसचिव को एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करेगा और कार्यपरिषद (सिंडीकेट) का समाधान करेगा कि—

- (क) जिस स्थान पर महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है, उसकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए विकित्ता पी आयुर्वेदिक पद्धति के और शिक्षण और अध्यापन के सम्बन्ध में उस स्थान पर मौग की पूर्ति करेगा;
- (ख) महाविद्यालय एक नियमित रूप से गठित शासी निकाय के प्रबन्धनाधीन होगा;
- (ग) प्राध्यापक वर्ग की संख्या और अहताएँ तथा उनके कार्यकाल को शासित करने वाली शर्तें ऐसी होंगी जिससे महाविद्यालय द्वारा दिये जाने वाले शिक्षण, अध्यापन अथवा प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के लिए समुचित प्राविधान किया जाना आवश्यक हो;
- (घ) जिस भवन में, महाविद्यालय स्थापित किया जाना है वह उपयुक्त हैं तथा ऐसे छात्रों के लिए जो अपने माता-पिता अथवा अभिभावकों के साथ नहीं रहते हैं, महाविद्यालय में अथवा महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित आवास-स्थलों में रहने के लिए तथा छात्रों के पर्यवेक्षण और कल्याण के लिए अध्यादेशों के अनुरूप प्राविधान किया जायेगा;
- (ड) पुस्तकालय के लिए समुचित प्राविधान कर लिया गया है अथवा कर लिया जायेगा;
- (च) यदि किसी प्रायोगिक विज्ञान की किसी शाखा के साथ सम्बद्धता की मौग की गयी हो तो परिनियमों और अध्यादेशों के अनुरूप विज्ञान की उस शाखा में एक समुचित रूप से सुसज्जित प्रयोगशाला अथवा संग्रहालय में शिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था कर ली गयी है, अथवा कर ली जाएगी;
- (छ) जहां तक परिस्थितियाँ अनुमति देती हों, प्राचार्य (प्रिंसिपल) तथा अध्यापक वर्ग के कुछ सदस्यों के आवास के लिए महाविद्यालय में अथवा उसके निकट अथवा जिस स्थान पर छात्रों के आवास की व्यवस्था की गयी है, वहाँ समुचित प्राविधान किया जायेगा;

- (ज) महाविद्यालय के वित्तीय संसाधन ऐसे हैं, जिसके लगातार बने रहने और प्रभावी कार्यसंचालन के लिए समुचित प्राविधान करते हैं;
- (झ) छात्रों द्वारा दी जाने वाली फीस निर्धारित करने वाले महाविद्यालय के नियम यदि कोई हों इस तरह नहीं बनाए गये हैं कि वहीं आसपास में किसी विद्यमान महाविद्यालय के साथ ऐसी स्पर्धा उत्पन्न हो जाए, जो कि शिक्षा के हितों के लिए घातक हो;
- (2) प्रार्थनापत्र के साथ इस आशय का शपथ—पत्र देना होगा कि महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान किये जाने के बाद प्रबन्धन में ऐसा कोई अन्तरण तथा अध्यापक वर्ग में सभी परिवर्तन तथा अन्य परिवर्तन, जिनके फलस्वरूप उपर्युक्त में से कोई भी अपेक्षा अधूरी रह जाती है अथवा अधूरी बनी रहती है, तत्काल कार्यपरिषद (सिडीकेट) को रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।
- (3) उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना—पत्र प्राप्त होने पर कार्यपरिषद(सिंडीकेट)–
- (क) उपधारा (1) में उल्लिखित विषयों तथा अन्य ऐसे विषयों के मामले में जो आवश्यक और संगत समझे जायें, किसी सक्षम अधिकारी अथवा इस सम्बन्ध में कार्यपरिषद (सिंडीकेट) द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा एक स्थानीय जॉच करायेगी; अथवा
 - (ख) ऐसी जॉच करायेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो;
 - (ग) प्रार्थी को सूचित की गयी शर्तों में से किसी एक शर्त पर पुनर्विचार के लिए उसके द्वारा की गयी प्रार्थना पर, यदि कोई हो तो समुचित रूप से विचार करेगी;
 - (घ) इस प्रश्न के सम्बन्ध में अपना मत लिखित रूप में निर्दिष्ट करेगी कि क्या प्रार्थना—पत्र पूर्णतः अथवा अंशतः मंजूर या नामंजूर किया जाना चाहिए, जिसके साथ खण्ड (क) अथवा (ख) के अधीन किसी जॉच के परिणामों का वर्णन किया जायेगा।

- (4) कुल सचिव, प्रार्थना—पत्र तथा उसके सम्बन्ध में कार्यपरिषद(सिंडीकेट) की सभी कार्यवाहियाँ, यदि कोई हों तो राज्य सरकार को भेजेगा, जो ऐसी जॉच कराने के बाद जैसी उसे आवश्यक प्रतीत होती हो, प्रार्थना पत्र या उसके किसी भाग को मंजूर अथवा नामंजूर कर देगी।
- (5) जहाँ प्रार्थना पत्र या उसका कोई भाग मंजूर कर लिया गया है, राज्य सरकार के आदेश में शिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रम विनिर्दिष्ट किये जायेंगे, जिनके सम्बन्ध में महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान की गयी है, और प्रार्थना पत्र या उसके किसी भाग को नामंजूर किये जाने के कारण बताये जाएंगे।
- (6) राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किये जाने के पश्चात् कुल सचिव यथा शीघ्र उपधारा (3) से (5) के अधीन प्रार्थना—पत्र पर की गयी कार्यवाही तथा अन्य सभी सम्बद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में अधिसभा(सिनेट) को एक सम्पूर्ण रिपोर्ट भेजेगा।
- (7) उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपधारा (4) के अधीन आदेश जारी किये जाने से पूर्व किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।

सम्बद्धता का विस्तार	34	यदि कोई महाविद्यालय शिक्षण के जिन पाठ्यक्रमों में उसे सम्बद्धता प्राप्त हुई है, उसमें कोई पाठ्यक्रम बढ़ाना चाहता है, तो धारा 33 में वर्णित क्रियाविधि का अनुपालन किया जाएगा।
अनुसंधान और विशिष्ट अध्ययन संस्थानों की मान्यता	35	<p>(1) राज्य सरकार को चिकित्सा की आयुर्वेदिक एद्वति के किसी महाविद्यालय के अतिरिक्त किसी भी अनुसंधान अथवा विशिष्ट अध्ययन के संस्थान को मान्यता प्राप्त संस्थान के रूप में मान्यता देने की शक्ति होगी।</p> <p>(2) ऐसी मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी संस्थान को कुल सचिव को एक प्रार्थना पत्र देना होगा और प्रार्थना—पत्र में निम्न विषयों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी देनी होगा, अर्थात् –</p>

(क) प्रबन्धन निकाय का गठन तथा कार्मिक,

(ख) ऐसे विषय और पाठ्यक्रम जिनके सम्बन्ध में मान्यता अपेक्षित है,

(ग) स्थान, उपकरण, पुस्तकालय सुविधायें तथा छात्रों की संख्या जिसके लिए प्राविधान किया जा रहा है अथवा प्रस्तावित है,

(घ) कर्मचारिवृंद की संख्या, अर्हताएं तथा वेतन और किये गये अनुसंधान कार्य

(ङ) भवनों और उपकरणों के लिए तथा संस्थान को सतत बनाये रखने और उसके प्रभावी कार्य संचालन के लिए पूंजीगत खर्च के निमित्त किया गया वित्तीय प्राविधान तथा उद्गृहीत अथवा प्रस्तावित फीस,

(3) प्रार्थना पत्र पर विचार करने से पूर्व कार्यपरिषद (सिडीकेट) ऐसी कोई अन्य जानकारी, जो वह आवश्यक समझे, माँग सकती है।

(4) यदि कार्यपरिषद (सिडीकेट) प्रार्थना पत्र को विचारार्थ स्वीकार करने का निर्णय लेती है तो वह किसी सक्षम व्यक्ति अथवा इस सम्बन्ध में अधिकृत व्यक्तियों में से एक स्थानीय जाँच कराने का निर्देश दे सकती है। ऐसी स्थानीय जाँच के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट पर विचार करने तथा ऐसी पुनः जाँच कराने के पश्चात्, जो आवश्यक प्रतीत होती हो, कार्यपरिषद (सिडीकेट) की संस्तुति पर राज्य सरकार प्रार्थनापत्र या उसके किसी भाग को स्वीकार कर सकेगी अथवा अस्वीकार कर सकेगी। यदि संस्थान को मान्यता प्रदान की गयी है, तब कार्यपरिषद (सिडीकेट) अपनी अगली उत्तरवर्ती बैठकों में इस आशय की एक रिपोर्ट अधिसभा(सिनेट) को भेजेगी।

संस्थानों का 36 अनुमोदन

(1) कार्यपरिषद (सिडीकेट) को किसी एक अर्हता प्राप्त प्राध्यापक के मार्गदर्शन में आयुर्वेदिक पद्धति में विशिष्ट अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य, इन्टर्नशिप प्रशिक्षण, अनुसंधान अथवा अन्य शैक्षणिक कार्य करने के लिए किसी

संस्थान को एक अनुमोदित संस्थान के रूप में अनुमोदित करने की शक्ति होगी।

- (2) ऐसे अनुमोदन प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी संस्थान को कुलसचिव को एक प्रार्थना पत्र देना होगा और प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना देनी होगी, अर्थात् :—
 - (क) प्राध्यापक का नाम, अहंताएँ, अनुभव और अनुसंधान कार्य, जिसके मार्गदर्शन में अनुमोदित कार्य किया जाना है;
 - (ख) कार्य की प्रकृति अथवा विषय, जिनके सम्बन्ध में कार्य किया जाना प्रस्तावित है;
 - (ग) स्थान, उपकरण, पुस्तकालय सुविधाएँ तथा छात्रों की संख्या जिनके लिए प्राविधान किया गया है अथवा प्रस्तावित है;
 - (घ) भवनों और उपकरणों के लिए तथा संस्थान को सतत रूप से बनाए रखने और उसकी प्रभावी कार्यसंचालन के लिए पूँजीगत खर्च के निमित्त किया गया वित्तीय प्राविधान तथा उद्ग्रहीत अथवा प्रस्तावित फीस।
- (3) प्रार्थना—पत्र पर विचार करने से पूर्व कार्यपरिषद (सिंडीकेट) ऐसी कोई अन्य जानकारी, जो आवश्यक समझे, मौग सकती है।
- (4) यदि कार्यपरिषद (सिंडीकेट) प्रार्थना पत्र को विचारार्थ स्वीकार करने का निर्णय लेती है तो वह किसी सक्षम व्यक्ति अथवा इस सम्बन्ध में अधिकृत व्यक्तियों में से एक स्थानीय जॉच कराने का निर्देश दे सकती है।

ऐसी स्थानीय जॉच के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट पर विचार करने तथा ऐसी पुनः जॉच कराने के पश्चात्, जो आवश्यक प्रतीत होती हो, कार्यपरिषद प्रार्थनापत्र या उसके किसी भाग को मंजूरी देगी अथवा नामंजूर करेगी, जिसके सम्बन्ध में संस्थान को मान्यता प्रदान की गयी है, तथा अपनी अगली उत्तरवर्ती बैठकों में इस आशय की एक रिपोर्ट सिनेट को भेजेगी, जहाँ,

प्रार्थनापत्र अथवा उसके किसी भाग को नामंजूर कर दिया जाता है, नामंजूर किये जाने के कारणों का उल्लेख किया जायेगा।

सम्बद्धता का प्रत्याहरण

- 37 (1) यदि कोई महाविद्यालय धारा 33 की उपधारा (1) के किसी भी एक प्राविधान को कार्यान्वित करने में असफल रहता है अथवा उसमें सम्बद्धता की किसी एक शर्त का पालन नहीं किया है अथवा महाविद्यालय का संचालन ऐसी रीति से हो रहा है जो शिक्षा के हितों के प्रतिकूल है तो उक्त विद्यालय को ऐसी सम्बद्धता द्वारा प्रदत्त अधिकारों को पूर्णतः अथवा अंशतः प्रत्याहरित किया जा सकता है अथवा संशोधित किया जा सकता है।
- (2) ऐसी शक्तियों को प्रत्याहरित करने अथवा उपान्तरण के प्रस्ताव केवल कार्यपरिषद में लाए जा सकते हैं। कार्यपरिषद (सिंडीकेट) में ऐसे प्रस्ताव रखने का इच्छुक सदस्य इस आशय की सूचना देगा और ऐसे प्रस्ताव रखने के कारण लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा।
- (3) उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार आरम्भ करने से पूर्व कार्यपरिषद (सिंडीकेट) सूचना तथा उपधारा (2) में उल्लिखित विवरण की एक प्रति इस आशय की सूचना सहित सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को देगी कि इस सूचना में निर्दिष्ट कालावधि के भीतर महाविद्यालय की ओर से लिखित रूप में भेजे गये अभ्यावेदन पर कार्यपरिषद (सिंडीकेट) द्वारा विचार किया जायेगा;

परन्तु यह कि ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि, यदि आवश्यक हो तो, कार्यपरिषद (सिंडीकेट) द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

- (4) अभ्यावेदन प्राप्त होने अथवा उपधारा (3) में उल्लिखित अवधि समाप्त हो जाने पर, कार्यपरिषद (सिंडीकेट) प्रस्ताव की सूचना, विवरण और अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें कार्यपरिषद (सिंडीकेट) द्वारा इस निमित्त में अधिकृत किया गया हो, ऐसा निरीक्षण तथा आगे कोई और जॉच कर, जो उसे आवश्यक प्रतीत होती हो, कार्यपरिषद (सिंडीकेट) को एक रिपोर्ट भेजेगी।

- (5) उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यपरिषद (सिंडीकेट) अग्रेत्तर ऐसी जॉच के बाद, जो उसे आवश्यक प्रतीत होती हो, इस सम्बन्ध में अपनी राय अभिलिखित करेगी;

परन्तु यह कि प्रत्याहरण की सिफारिश करने वाला कोई संकल्प अधिसभा(सिनेट) में तब तक पारित किया हुआ नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसे कार्यपरिषद(सिंडीकेट) की बैठक में उपस्थित सदस्यों में से दो तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त नहीं हो गया हो ऐसा बहुमत कार्यपरिषद(सिंडीकेट) के आधे सदस्यों से कम नहीं होगा। ऐसे बहुमत में कार्यपरिषद (सिंडीकेट) के कम से कम आधे सदस्यों सम्मिलित न हों।

- (6) कुलसचिव प्रस्ताव और उसके सम्बन्ध में कार्यपरिषद(सिंडीकेट) द्वारा कार्यपरिषद (सिंडीकेट) की सभी कार्यवाहियाँ, यदि कोई हों, राज्य सरकार को भेजेगा जो ऐसी अग्रेत्तर जॉच के बाद, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, सम्बद्धता के प्रत्याहरण के बारे में ऐसा आदेश पारित करेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो और कार्यपरिषद (सिंडीकेट) को उससे संसूचित करेगी।

- (7) जिस मामले में उपधारा (6) के अधीन दिये गये आदेश के कारण सम्बद्धता द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ पूर्णतः अथवा अंशतः वापस लिए जाते हैं या उनका उपान्तरण कर दिया जाता है, उस आदेश में इस तरह शक्तियाँ वापस लेने अथवा उपान्तरण किये जाने के कारणों का उल्लेख किया जायेगा।

मान्यता का प्रत्याहरण

- 38 (1) यदि कोई संस्थान अपनी मान्यता की किसी भी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहा है अथवा उसका संचालन किसी ऐसी रीति से हो रहा है जो कि शिक्षा के हितों के प्रतिकूल है तो उसकी मान्यता प्रत्याहरित की जा सकती है अथवा किसी अवधि के लिए लम्बित की जा सकती है।
- (2) ऐसी शक्तियाँ प्रत्याहरित किये जाने अथवा लम्बित किये जाने का प्रस्ताव केवल कार्यपरिषद(सिंडीकेट) में किया जा सकेगा। कार्यपरिषद (सिंडीकेट) का जो सदस्य ऐसे प्रस्ताव रखने का इच्छुक है, वह इस

आशय की सूचना देगा और ऐसे प्रस्ताव रखने का कारण लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा।

(3) उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार आरम्भ करने से पूर्व कार्यपरिषद(सिंडीकेट) सूचना तथा उपधारा (2) में उल्लिखित विवरण की एक प्रति ऐसे आशय की सूचना सहित सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को देगी कि ऐसी सूचना में निर्दिष्ट कालावधि के भीतर संस्थान की ओर से लिखित रूप में भेजे गये अभ्यावेदन पर कार्यपरिषद (सिंडीकेट) द्वारा विचार किया जायेगा;

परन्तु यह कि ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि यदि आवश्यक हो तो कार्यपरिषद द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

(4) अभ्यावेदन प्राप्त होने अथवा उपधारा (3) में उल्लिखित अवधि समाप्त हो जाने पर, कार्यपरिषद (सिंडीकेट) प्रस्ताव की सूचना, विवरण और अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद तथा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें कार्यपरिषद (सिंडीकेट) द्वारा इस निमित्त में अधिकृत किया गया हो ऐसा निरीक्षण तथा अग्रेत्तर कोई जॉच कराके, जो उसे आवश्यक प्रतीत होती हो, कार्यपरिषद (सिंडीकेट) को एक रिपोर्ट भेजेगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यपरिषद (सिंडीकेट) अग्रेत्तर ऐसी जॉच के बाद, जो उसे आवश्यक प्रतीत होती हो, राज्य सरकार को संस्तुति करेगी कि मान्यता का प्रत्याहरण अथवा निलम्बन किया जाए जैसी भी स्थिति हो, या नहीं करेगी, कायपरिषद (सिंडीकेट) की संस्तुति पर राज्य सरकार मान्यता के प्रत्याहरण के बारे में यथा आवश्यक आदेश पारित कर सकेगी।

अनुमोदन का
प्रत्याहरण

39 (1) धारा 36 के अधीन अनुमोदित किया गया कोई संस्थान यदि अनुमोदन की किसी भी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहता है अथवा उसे सौंपे गये कार्य का संचालन किसी ऐसी रीति से हो रहा है जो कि शिक्षा के हितों के प्रतिकूल है तो अनुमोदन द्वारा उसे जो शक्तियाँ प्रदान की

गयी हैं उन्हें कार्यपरिषद (सिंडीकेट) द्वारा प्रत्याहरित किया जा सकता है अथवा किसी अवधि के लिए लम्बित किया जा सकता है।

- (2) किसी भी अनुमोदित संस्थान के बारे में उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश जारी करने से पूर्व कार्यपरिषद (सिंडीकेट) लिखित रूप में एक नोटिस देगी जिसमें संस्थान से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर इस बात का कारण बताये कि ऐसा आदेश क्यों न जारी कर दिया जाय? कारण बताने के लिए इस प्रकार दी गई यह अवधि यदि आवश्यक हो, कार्यपरिषद (सिंडीकेट) द्वारा बढ़ाई जा सकती है।
- (3) ऐसे नोटिस के उत्तर में संस्थान द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो, उसकी प्राप्ति के पश्चात् और जहाँ उपधारा (2) में दी गयी अवधि के व्यतीत हो जाने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो कार्यपरिषद (सिंडीकेट) ऐसी जांच के बाद जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, ऐसा निर्णय लेगी कि क्या अनुमोदन, प्रत्याहरित किया जाय या निलम्बित किया जाय और तदनुसार आदेश देगी।

अध्याय – सात

स्नातकोत्तर अध्यापन

- | | |
|------------------------|---|
| स्नातकोत्तर
अध्यापन | <p>40 (1) समस्त स्नातकोत्तर शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण, विश्वविद्यालय अथवा ऐसे सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों और संस्थानों द्वारा तथा उन विषयों में आयोजित किया जाएगा जो कि परिनियमों द्वारा विहित किया गया हो।</p> <p>(2) समस्त स्नातकोत्तर विभाग सामान्यतः विश्वविद्यालय के मुख्यालय में स्थित होंगे, तथापि विश्वविद्यालय ऐसे किसी विभाग को अपने मुख्यालय से बाहर राज्य में स्थित किसी अन्य स्थानों पर स्थापित कर सकता है।</p> <p>(3) विश्वविद्यालय ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो कि परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएँ, विश्वविद्यालय के मुख्यालय से इतर स्थानों पर विश्वविद्यालय केन्द्र अनुरक्षित कर सकता है।</p> |
|------------------------|---|

अध्याय— आठ

नामांकन और डिग्रियाँ

- विश्वविद्यालय के छात्रों के नामांकन के लिए अर्हताएँ**
- 41 किसी छात्र को विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसके पास परिनियमों द्वारा विहित अर्हताएँ न हों।
- छात्रों का आवास**
- 42 विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र या तो छात्रावास में अथवा ऐसे परिसर में निवास करेगा, जो निहत किया जाय।
- डिग्रियाँ, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ**
- 43 विश्वविद्यालय, ऐसी डिग्रियाँ, डिप्लोमा तथा शैक्षणिक विशिष्टताएँ संस्थित और प्रदान कर सकता है जो परिनियमों द्वारा विहित की गयी हों।
- मानद उपाधि**
- 44 यदि कार्यपरिषद (सिंडीकेट) के न्यूनतम् दो तिहाई सदस्य यह सिफारिश करते हैं कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर कोई मानद उपाधि प्रदान की जानी चाहिए और उनकी राय में वह व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा तथा उपलब्धियों के कारण ऐसी उपाधि प्राप्त करने का पात्र है, और कार्यपरिषद(सिंडीकेट) सिफारिश को अधिसभा(सिनेट) की बैठक में उपस्थित सदस्यों में न्यूनतम् दो तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो तथा ऐसे बहुमत में कार्यपरिषद(सिंडीकेट) के कम से कम आधे सदस्य शामिल हों और इस आशय की सिफारिश की कुलाधिपति द्वारा पुष्टि कर दी जाती है तो सिनेट ऐसे व्यक्ति को उससे किसी परीक्षा में बैठने की अपेक्षा के बिना इस प्रकार अनुशंसित मानद उपाधि प्रदान कर सकती है।
- विश्वविद्यालय की सदस्यता समाप्त करना और उपाधि अथवा डिप्लोमा का प्रत्याहरण**
- 45 (1) अधिसभा(सिनेट) और कार्यपरिषद (सिंडीकेट) की सिफारिश पर जिसे दोनों निकायों की बैठकों में उपस्थित सदस्यों में कम से कम दो तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो तथा ऐसे बहुमत में प्रत्येक निकाय के न्यूनतम् आधे सदस्य शामिल हों, कुलाधिपति, किसी व्यक्ति का नाम स्नातकों की पंजी से निकाल सकता है अथवा किसी व्यक्ति से डिप्लोमा या उपाधि वापस ले सकता है बशर्ते कि उसे किसी ऐसे

अपराध में किसी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष माना गया है जो कि कार्यपरिषद (सिंडीकेट) की राय में ऐसा गम्भीर अपराध है जिसमें नैतिक अधमता ग्रस्त है अथवा यदि वह अपवादजनक आचरण का दोषी पाया गया हो।

- (2) इस धारा के अधीन तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को परिनियमों द्वारा विहित रीति से अपने बचाव में सुनवाई का अवसर न दे दिया जाय।

अध्याय नौ

समितियां

- समितियां 46 विश्वविद्यालय विभिन्न प्रयोजनों के लिए समितियां गठित कर सकेगी तथा ऐसी समितियों में ऐसे व्यक्ति नामित किये जा सकेंगे जैसा परिनियमों में विहित किया जाय।

अध्याय दस

वित्त

- विश्वविद्यालय 47 (1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जो विश्वविद्यालय निर्णय कहलायेगी।
- (2) विश्वविद्यालय निधि के निम्नलिखित भाग होंगे या उसमें संदर्भ किये जायेंगे—
- (क) राज्य सरकार, संघ सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी निगमित निकाय द्वारा दिया गया कोई योगदान अथवा अनुदान,
- (ख) समस्त स्रोतों से हुई विश्वविद्यालय की आय जिसके अन्तर्गत फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय आती है,
- (ग) वसीयतें, दान, विन्यास तथा अन्य अनुदान यदि कोई हो।
- (3) विश्वविद्यालय निधि कार्यपरिषद (सिंडीकेट) के विवेकानुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित किसी भी अनुसूचित बैंक में अथवा इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी

सहकारी बैंक में रखी जायेगी या भारतीय न्यास अधिनियम, 1862 द्वारा प्राधिकृत प्रतिभूतियों में विनियोजित की जायेगी।

**वार्षिक लेखे
और वित्तीय
अनुमान**

- 48 (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे कार्यपरिषद (सिंडीकेट) के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और लेखा परीक्षा के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (2) लेखों की लेखापरीक्षा हो जाने के पश्चात् कार्यपरिषद, (सिंडीकेट) लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित उनकी एक-एक प्रति सिनेट तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।
- (3) कार्यपरिषद (सिंडीकेट) आगामी वर्ष के लिए उस तारीख तक, जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए, वित्तीय अनुमान भी तैयार करेगी।
- (4) वार्षिक लेखों और वित्तीय अनुमानों पर अधिसभा(सिनेट) द्वारा वार्षिक बैठक में विचार किया जायेगा और अधिसभा(सिनेट) उसके सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित कर सकती है और कार्यपरिषद(सिंडीकेट) को सूचित करेगी। कार्यपरिषद, (सिंडीकेट) अगली बैठक में उसके द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में अथवा यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो उसके कारणों के सम्बन्ध में अधिसभा(सिनेट) को सूचित करेगी।
- वार्षिक रिपोर्ट 49 विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्यपरिषद(सिंडीकेट) के निर्देश के अधीन तैयार की जायेगी और अधिसभा(सिनेट) को ऐसी तारीख को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए और उस पर कार्यपरिषद (सिंडीकेट) द्वारा अपनी वार्षिक बैठक में विचार किया जाएगा। अधिसभा(सिनेट) उस पर संकल्प पारित कर सकेगी और उसे कार्यपरिषद (सिंडीकेट) को सूचित कर सकेगी जो कि ऐसी कार्यवाही कर सकेगी जैसी कि वह उचित समझे तथा कार्यपरिषद (सिंडीकेट) अगली बैठक में उसके द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में अथवा यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो उसके कारणों के सम्बन्ध में अधिसभा(सिनेट) को सूचित करेगी।

अध्याय रथारह

अनुपूरक उपबंध

- सेवा की शर्तें** 50 इस अधिनियम द्वारा या अन्यथा उपबंधित के सिवाय विश्वविद्यालय का प्रत्येक वैतनिक अधिकारी तथा प्राध्यापक लिखित संविदा के अधीन, जो विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पास रखी जाएगी, नियुक्त किया जाएगा, और उसकी एक प्रति सम्बन्धित अधिकारी या प्राध्यापक को दी जाएगी।
- अधिकारियों तथा कर्मचारियों का लोक सेवक होना** 51 विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्वयन में लोक सेवक समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण

इस धारा के प्रयोजनों के लिए जिस व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि अथवा विश्वविद्यालय के विनिर्दिष्ट कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है अथवा जिस प्रतिपूरक भत्ते के रूप में अथवा किसी कार्य के लिए फीस के रूप में विश्वविद्यालय निधि से कोई पारिश्रमिक प्राप्त होता है, उसे जब तक वह कार्य कर रहा है और ऐसी नियुक्ति अथवा कार्य से सम्बन्धित कर्तव्यों और कृत्यों के निष्पादन से सम्बद्ध सभी विषयों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का अधिकारी तथा कर्मचारी समझा जाएगा।

- माध्यस्थम का अधिकरण** 52 विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के किसी अधिकारी अथवा प्राध्यापक के बीच हुई किसी संविदा से उत्पन्न कोई विवाद सम्बन्धित अधिकारी या प्राध्यापक के अनुरोध पर माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें कार्यपरिषद (सिंडीकेट) द्वारा नियुक्त किया गया एक सदस्य, सम्बन्धित अधिकारी या प्राध्यापक द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य तथा कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया गया अधिनिर्णयक होगा। ऐसा प्रत्येक अनुरोध माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1996) के अर्थान्वयन में माध्यस्थम को प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा और उस पर उक्त अधिनियम के प्राविधान तदनुसार लागू होंगे।

- पेंशन, बीमा और भविष्य निधि**
- 53 विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, प्राध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अध्याधीन रहते हुए जैसा परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, ऐसी पेंशन, बीमा तथा भविष्य-निधि का गठन करेगा तथा ऐसे अन्य लाभ संस्थित करेगा, जिन्हें वह उचित समझे।
- भविष्य निधि का सरकारी खजाने में जमा कराया जाना**
- 54 (1) जहाँ विश्वविद्यालय ने अपने अधिकारियों, प्राध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए धारा 53 के अधीन, जिसकी भविष्य निधि का गठन कर लिया है वहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसे निर्देशों के अनुसार जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लिखित आदेश के माध्यम से दिये जायें, राज्य सरकार के कोषागार में जमा करायी जायेगी और तदुपरान्त—
- (क) अभिदाता भविष्य निधि खाते में शेष राशि में उसी दर से ब्याज पाने का हकदार होगा, जिस पर राज्य सरकार का कर्मचारी अपने भविष्य निधि खाते में खाते की शेष राशि पर तत्समय हकदार है,
- (ख) भविष्य निधि से निकासी की सीमाओं के सम्बन्ध में जो नियम ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में तत्समय प्रवृत्त हैं, वही नियम जहाँ यथासंभव हों, अभिदाता पर लागू होंगे।
- (2) इस धारा में कोई भी बात विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित ऐसी भविष्य निधि के मामले में लागू नहीं होगी जिसके सम्बन्ध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू होता है।
- निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली**
- 55 इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण का चुनाव एकल अन्तरणीय मत के माध्यम से ऐसी रीति से जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाय, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होगा।

- पद रिक्त करना**
- 56 (1) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण अथवा निकाय का कोई भी सदस्य कुल सचिव के माध्यम से कुलपति को सम्बोधित पत्र के द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा और त्याग पत्र कुलपति द्वारा स्वीकार किये जाने की तारीख से अथवा कुलपति को प्राप्त होने के तीस दिन की समाप्ति पर, इसमें जो भी पहले हो, प्रभावी होगा।
- (2) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण अथवा निकाय का कोई भी सदस्य, किसी भी न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए जाने पर, जिसमें कार्यपरिषद (सिंडीकेट) की राय में नैतिक अधमताग्रस्त हो, सदस्य नहीं रहेगा।
- आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना**
- 57 जब विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा निकाय में किसी सदस्य का कोई पद (पदेन सदस्य को छोड़कर) सदस्य के कार्यकाल समाप्त होने से पहले रिक्त हो जाता है, ऐसी रिक्ति यथाशीघ्र सुविधानुसार ऐसे सदस्य के यथास्थिति निर्वाचन, नामनिर्देशन, नियुक्ति अथवा सहयोजित द्वारा जो केवल उतने समय तक पदधारण करेगा जब तक वह व्यक्ति जिसके स्थान पर वह उसने निर्वाचित, नामनिर्देशित, नियुक्त अथवा सहयोजित किया गया हो, सदस्य रहा होता यदि पर रिक्त न होता,
- परन्तु यह कि यदि यह रिक्ति अधिसभा(सिनेट) के किसी निर्वाचित सदस्य की है और ऐसे सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति की तारीख से छः महीने पहले होती है तो रिक्ति नहीं भरी जाएगी।
- कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधि मान्य न होना**
- 58 विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण अथवा निकाय की कोई भी कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होंगी कि उसकी सदस्यता में कोई स्थान रिक्त है।
- विश्वविद्यालय, प्राधिकरण अथवा निकाय के गठन सम्बन्धी विवाद**
- 59 यदि इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियम, अध्यादेश अथवा नियम के उपबन्ध के निर्वचन के सम्बन्ध में या इस सम्बन्ध में कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी अथवा निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या

उसका सदस्य होने का हकदार है अथवा सदस्य नहीं रहा है तो कोई प्रश्न सीधे प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति अथवा निकाय द्वारा याचिका प्रस्तुत किये जाने पर अथवा स्व-प्रेरणा से हो तो ऐसा मामला कुलपति द्वारा कुलाधिपति को सन्दर्भित किया जाएगा और यदि अधिसभा(सिनेट) के सदस्य ऐसा आग्रह करें तो कुलाधिपति ऐसी सलाह लेने के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे, प्रश्न विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

कार्यों तथा आदेशों का संरक्षण

- 60 विश्वविद्यालय अथवा इसके किसी प्राधिकारी, निकायों अथवा अधिकारियों द्वारा सदभावपूर्वक किये गये कार्य तथा पारित आदेश अन्तिम होंगे तथा विश्वविद्यालय या उसके प्राधिकारियों, निकायों अथवा अधिकारियों पर इस अधिनियम तथा तदधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेश और उसके अधीन बनाए गये नियमों के अनुसार की गयी किसी भी तात्पार्यित कार्यवाही के लिए कोई वाद संस्थित नहीं किया जाएगा, न किसी नुकसान का दावा किया जाएगा।

अध्याय बारह

संक्रमणकालीन उपबन्ध

संकाय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में पाठ्यक्रमों की पूर्ति

- 61 इस अधिनियम अथवा तदधीन बनाये गये परिनियमों तथा अध्यादेशों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के रहते हुए संस्थान के ऐसे किसी भी छात्र को जो कि संकाय की परीक्षाओं के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करने का हकदार है और जो उस तारीख से ठीक पूर्व जबकि धारा 6 प्रभावी हुई है, संकाय की किसी परीक्षा में पढ़ रहा था, अथवा वह उसके लिए पात्र था, उसकी तैयारी करने के लिए उसे अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और विश्वविद्यालय ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसी रीति से जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए, संकाय के पाठ्यक्रमों के अनुसार ऐसे छात्रों के लिए शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण और परीक्षा की व्यवस्था करेगा।

- प्रथम कुलपति 62** धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के पारित किये जाने के पश्चात् यथासाध्य ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रथम कुलपति की नियुक्ति की जाएगी।
- प्रथम कुलपति 63** (1) प्रथम कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि संस्थानों को, यदि कोई हो, यथासम्भव धारा 33 के उपबन्धों के अनुरूप सम्बद्धता प्रदान करना, तथा स्वयं की नियुक्ति की तारीख के छः महीने के भीतर अथवा ऐसी अधिक अवधि के भीतर जो दो वर्ष से अधिक नहीं होगी, जैसा राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करे, विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद (सिंडीकेट) तथा अन्य प्राधिकारियों के गठन की व्यवस्था करेगा।
- (2) प्रथम कुलपति सलाहकार समिति की सहायता से, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकतम् पन्द्रह सदस्य होंगे, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए और कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए –
- (क) उक्त प्राधिकारियों का गठन करने तथा उनकी बैठकों और कार्यसंचालन की क्रियाविधि को विनियमित करने के लिए अपेक्षित प्रथम परिनियम बनाएगा;
- (ख) ऐसे नियम बनाएगा जो कि उक्त प्राधिकारियों के लिए निर्वाचन की विधि विनियमित करने के उद्देश्य से आवश्यक हों,
- (ग) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के पुर्वानुमोदन से प्रथम परिनियम और अध्यादेश बनाएगा।
- विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्राध्यापकों की प्रथम नियुक्ति 64** (1) इस अधिनियम के पारित किये जाने के पश्चात् किसी समय किन्तु जब तक कि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी काम करना शुरू न कर दें –
- (क) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यों के निष्पादनार्थ कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से ऐसे कोई अधिकारी नियुक्त कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

- (ख) कुलपति, निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें तथा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की, जिन्हें सहयुक्त करना कुलाधिपति उचित समझे, सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों की नियुक्ति कर सकता है।
- (2) उपधारा (1) के अधीन की गयी कोई नियुक्ति अधिकतम् तीन वर्षों के लिए ऐसे शर्तों पर होगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे,

परन्तु ऐसी कोई भी नियुक्ति तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उसके लिए वित्तीय प्राविधान नहीं कर लिये जाते हैं।

प्रथम कुलपति 65 धारा 62 के अधीन नियुक्त कुलपति के पास, जब तक कि कार्यपरिषद अपना कार्य करना प्रारम्भ न कर दे, निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :—
शक्तियाँ

- (क) ऐसे किसी विषय के लिए जिसके बारे में प्रथम परिनियमों में व्यवस्था नहीं की गयी है, प्राविधान करने के लिए कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से अतिरिक्त परिनियम बनाने,
- (ख) अनन्तिम प्राधिकरणों और निकायों की गठन और उनकी सिफारिशों पर विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के प्राविधान के लिए नियम बनाना,
- (ग) राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए ऐसी वित्तीय व्यवस्थाएँ करना, जैसा इस अधिनियम अथवा उसके किसी भाग को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों,
- (घ) उसके ऐसे कार्यों का निर्वहन करने के लिए जैसा कि वह निर्देशित करे, समिति गठित करना, और
- (ड.) इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या अथवा उसके अधीन कार्यपरिषद (सिंडीकेट) को प्रदत्त किसी या सभी शक्तियों का सामान्यतः प्रयोग करना।

अधिनियम के 66 यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई लागू होने पर होने वाली कठिनाईयों का राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम सरकार द्वारा निराकरण

उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसा आदेश कर सकेगी जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा और ऐसे आदेश को यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा ।

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव ।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 21 मार्च, 2014 ई०

फाल्गुन 30, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 119 / XXXVI(3) / 2014 / 25(1) / 2014

देहरादून, 21 मार्च, 2014

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014” पर दिनांक 20 मार्च, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 16 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 16 वर्ष 2014)

{भारत गणराज्य के पैसरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित}

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में अग्रेतर संशोधन के लिए—

अधिनियम

- संक्षिप्त नाम और 1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।
 (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- धारा 3 का संशोधन 2.** मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्—
 “विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर देहरादून में अवस्थित होगा और हरिद्वार स्थित ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं गुरुकुल कांगड़ी राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय विश्वविद्यालय के परिसर होंगे। विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के संकल्प पर राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त राज्य के किसी अन्य स्थान पर भी विश्वविद्यालय के अतिरिक्त परिसर स्थापित कर सकेगा।”
- धारा 9 का संशोधन 3.** मूल अधिनियम की धारा 9 निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्—
विश्वविद्यालय के अधिकारी
 विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्—
 (क) कुलाधिपति,
 (ख) कुलपति,
 (ग) वित्त अधिकारी,
 (घ) कुलसचिव, और
 (ङ) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में घोषित किया जाये।
- धारा 16 का संशोधन 4.** मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्—
 “कुलसचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। राज्य सरकार किसी ऐसे अधिकारी की कुलसचिव पद पर यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित योग्यता एवं वेतनमान के अनुरूप प्रतिनियुक्ति/ तैनाती/ नियुक्ति कर सकेगी।”

धारा 19 का संशोधन 5. मूल अधिनियम की धारा 19 निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्—
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्—

- (क) कार्यपरिषद् ,
- (ख) वित्त समिति ,
- (ग) शैक्षिक परिषद् ,
- (घ) अध्ययन बोर्ड ,
- (ङ) क्रीड़ा और छात्र कल्याण बोर्ड, और
- (च) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य बोर्ड और निकाय जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के रूप में घोषित किया जाए।

धारा 19—क का 6. मूल अधिनियम की धारा 19 के पश्चात् शीर्षक सहित एक नई धारा 19—क निम्नवत अतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्—

वित्त वित्त समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- | | |
|-------|--|
| समिति | (1) कुलपति – अध्यक्ष |
| | (2) प्रमुख सचिव/सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, |
| | उत्तराखण्ड शासन – सदस्य |
| | (3) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन – |
| | सदस्य |
| | (4) वित्त अधिकारी – सदस्य |
| | (5) विश्वविद्यालय के आचार्यों में से कुलपति द्वारा नामित |
| | सदस्य (कार्यकाल दो वर्ष होगा) –सदस्य |
| | (6) कुलसचिव – पदेन सचिव |

धारा 20 का निरसन 7. मूल अधिनियम धारा 20 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

धारा 21 का निरसन 8. मूल अधिनियम धारा 21 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

धारा 22 का निरसन 9. मूल अधिनियम धारा 22 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

धारा 23 का निरसन 10. मूल अधिनियम धारा 23 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

धारा 24 का संशोधन 11. मूल अधिनियम की धारा 24 में –

(क) उपधारा (1) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्—

कार्यपरिषद् (अधिकारी)

कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय की कार्यकारी प्राधिकारी होगी और उसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्—

- (क) कुलपति – अध्यक्ष

- (ख) सचिव, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली – सदस्य

- (ग) अध्यक्ष, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली – सदस्य
 - (घ) अध्यक्ष, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली – सदस्य
 - (ङ) माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा नामित कार्यरत/सेवानिवृत्त 01 न्यायाधीश – सदस्य
 - (च) प्रमुख सचिव/ सचिव, आयुष विभाग, उत्तराखण्ड शासन –सदस्य
 - (छ) निदेशक, आयुवादक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड राज्य – सदस्य
 - (ज) निदेशक, होम्योपैथिक सेवायें, उत्तराखण्ड राज्य – सदस्य
 - (झ) एक सदस्य जिनका मनोनयन सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों में से कुलपति द्वारा किया जायेगा
 - (ञ) एक सदस्य जिसका मनोनयन विश्वविद्यालय के आचार्यों में से कुलपति द्वारा किया जायेगा
 - (ट) आयुष एवं विज्ञान, उद्योग, सामाजिक, राजनीतिक एवं विधिवेत्ता में से पांच सदस्य कुलपति द्वारा प्रस्तुत पैनल में से राज्य सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा नामित होंगे।
 - (ठ) कुलसचिव – सदस्य सचिव"
 - (ख) मूल अधिनियम में धारा 24 की उपधारा (2) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् –
- “कार्यपरिषद के नामित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा।”

- धारा 25 का संशोधन** 12. मूल अधिनियम की धारा 25 निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् –
- (1) कार्यपरिषद की वर्ष में न्यूनतम दो बैठक कुलपति द्वारा नियत तारीख एवं स्थान पर अप्रेजित की जाएगी,
 - (2) कार्यपरिषद विश्वविद्यालय की सर्वोच्च शासी निकाय होगी तथा वह विश्वविद्यालय की ऐसी सभी शक्तियों का भी प्रयोग करेगी, जिसके लिए अध्यादेश/परिनियमों में कोई उपबंध नहीं है,
 - (3) आयुष चिकित्सा पद्धति की शिक्षा की प्रोन्नति और प्रसार में तथा उसके लिए अनुसंधान, शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण के लिए प्राविधान करना,
 - (4) उपाधियां, स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें संस्थित और प्रदान करना,
 - (5) परिनियम बनाना, संशोधन अथवा निरसित करना,
 - (6) वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखाओं पर विचार करना तथा प्रस्ताव पारित करना,

(7) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियां धारण, नियंत्रित तथा शासित करना,

(8) विश्वविद्यालय के पक्ष में न्यासों, वसीयतों, दावों और किसी स्थावर व जंगम सम्पत्ति के अन्तरणों को विश्वविद्यालय की ओर से ग्रहण/अन्तरित करना।

(9) परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति से मानद उपाधियां तथा शैक्षिक विशिष्टतायें प्रदान करने हेतु कुलाधिपति से सिफारिश करना,

(10) परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय के शैक्षणिक नियुक्तियों का अनुमोदन करना,

(11) शैक्षणिक उददेश्यों हेतु अध्यादेश बनाना तथा उसमें संशोधन करना,

(12) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जैसा कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन परिनियमों द्वारा प्रदत्त की जाए,

(13) कुलपति, कुलसचिव या ऐसे अन्य अधिकारियों या उनके द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति को जिसे वह उचित समझें, अपनी कोई अन्य शक्तियां प्रत्यायोजित करना,

(14) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभार नियत करना, मांगना और प्राप्त करना, जो समय—समय पर वित्त समिति द्वारा नियत किये जाए और जिसका संबंध विश्वविद्यालय के कार्यों/आय-व्यय से हो,

(15) ऐसी समस्त शक्तियां जो पूर्व में अधिसभा को प्रदत्त की गई थी, वह कार्यपरिषद में समाहित समझी जायेंगी।

आज्ञा से,

के० डी० भट्ट,
प्रमुख सचिव।